भाग – 2

बोलीदाताओं को अनुदेश

(आईटीबी)

धाराओं की तालिका

प्रस्तावना			
क.	**भूमिका**		**6**
	1.	निधियों के स्रोत	**7**
	2.	पात्र बोलीदाता	**7**
	3.	पात्र संयंत्र, उपस्कर और सेवाएं	**8**
	4.	बोली की लागत	**9**
ख.	**बोली के दस्तावेज**		**9**
	5.	बोली के दस्तावेजों की सामग्री	**9**
	6.	बोली के दस्तावेजों और बोली पूर्व बैठक का स्पष्टीकरण	**13**
	7.	बोली के दस्तावेजों में संशोधन	**15**
ग.	**बोलियां तैयार करना**		**16**
	8.	बोली की भाषा	**16**
	9.	बोली में समाविष्ट दस्तावेज	**17**
	10.	बोली का प्रपत्र और कीमत संबंधी अनुसूचियां	**33**
	11.	बोली की कीमतें	**33**
	12.	बोली की मुद्रा	**41**
	13.	बोली की प्रतिभूति	**41**
	14.	बोली की वैधता की अवधि	**43**

	15.	बोली का प्रपत्र और उस पर हस्ताक्षर करना	**43**
घ.	**बोलियों की हार्ड कॉपी का प्रस्तुतीकरण**		**47**
	16.	बोलियों की मुहरबन्दी और चिन्हित करना	**47**
	17.	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**49**
	18.	विलंबित बोलियां	**50**
	19.	बोलियों में संशोधन और उनको वापस लेना	**51**
ङ.	**बोलियों को खोलना और उनक मूल्यांकन करना**		**52**
	20.	नियोक्ता द्वारा पहले लिफाफे को खोलना	**52**
	21.	बोलियों के बारे में स्पष्टीकरण	**53**
	22.	पहले लिफाफे की प्रारंभिक जांच	**53**
	23.	अर्हता	**55**
	24.	तकनीकी – वाणिज्यिक भाग का मूल्यांकन करना (पहला लिफाफा)	**57**
	25.	नियोक्ता द्वारा दूसरे लिफाफे को खोलना	**59**
	26.	एकल मुद्रा में परिवर्तन	**60**
	27.	दूसरे लिफाफों भाग का मूल्यांकन करना (कीमत भाग)	**60**
	28.	खरीद/घरेलू वरीयता	**65**
	29.	ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए)	**65**
	30.	गोपनीयता और नियोक्ता से संपर्क करना	**66**
च.	**संविदा प्रदान करना**		**67**
	31.	संविदा प्रदान करने का मानदंड	**67**

	32.	किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का नियोक्ता का अधिकार	**68**
	33.	संविदा प्रदान करने की अधिसूचना	**68**
	34.	संविदा करार पर हस्ताक्षर करना	**69**
	35.	कार्य-निष्पादन की प्रतिभूति	**69**
	36.	धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार	**70**

बोलीदाताओं को अनुदेश (आईटीबी)

प्रस्तावना

क. भूमिका

बोली के दस्तावेजों के भाग (भाग-2) में बोलीदाताओं के लिए नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बोलियां तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना निहित है। इसके अतिरिक्त इसमें उनके पोर्टल https://www.tel-india-electronicstender.com पर ऑन लाईन बोली खोलने, उसका मूल्यांकन करने और संविदा प्रदान करने के लिए बोली प्रस्तुत करने और अपलोडिंग करने संबंधी सूचना भी निहित है। इस भाग (भाग-2) में ऐसे प्रावधान भी निहित हैं, जिनका उपयोग उसमें बिना किसी परिवर्तन के तब तक किया जा सकता है, जब तक कि भाग-3 जिसमें अनुपूरक और संशोधित प्रावधान निहित नहीं होते हैं अथवा भाग-2 में निहित सूचना अथवा आवश्यकताओं को विस्तार से विनिश्चित नहीं किया जाता है और प्रत्येक अधिप्राप्ति के मामले में अन्यथा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है। यदि भाग-2 और भाग-3 के प्रावधानों के बीच कोई प्रतिद्वंदता होती है, तो उस स्थिति में भाग-3 के प्रावधान प्रचलित होंगे।

तथापि, इस भाग में संविदाकार के कार्य-निष्पादन, संविदा के तहत भुगतान करने अथवा संविदा के तहत पक्षकारों के जोखिमों, अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करने वाले मामलों को अधिशासित करने वाले प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें "भाग-4: संविदा की सामान्य शर्तें" और/अथवा "भाग-5: संविदा की विशेष शर्तों" में शामिल किया गया है।

बोलीदाता यह नोट कर सकते हैं कि नियोक्ता ने अपने "निर्माण कार्य और अधिप्राप्ति की नीति और क्रियाविधि" (वोल्यूम-1 और वोल्यूम-2) को उसमें आशोधनों/संशोधनों (1) सहित पावरग्रिड की बेवसाईट पर अपलोड किया हुआ है और इस संबंध में बोलीदाताओं का ध्यान भाग-1 में निहित बोली के दस्तावेजों के अनुच्छेद आईएफबी 3.3 की ओर आकर्षित किया जाता है। ऐसे बोलीदाता जो उनका अनुशलीन करना चाहते हैं, वे पावरग्रिड की बेवसाईट www.powergridindia.com को देख सकते हैं। तथापि, इस संबंध में यह नोट किया जाए कि बोलीदाता/संविदाकार सहित कोई भी अन्य पक्षकार इस "निर्माण कार्य और अधिप्राप्ति की नीति" के दस्तावेजों से कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगा अथवा उसके आधार पर नियोक्ता पर कोई दावा नहीं करेगा। नियोक्ता और बोलीदाताओं/संविदाकारों के संबंधित अधिकार, नियोक्ता और संविदाकार के बीच संबंधित पैकेज (पैकेजों) के लिए हस्ताक्षरित बोली के दस्तावेजों/संविदाओं द्वारा अधिशासित होंगे। प्रतिरोध होने के मामले में बोली के दस्तावेजों के

प्रावधान, सदैव "निर्माण कार्य और अधिप्राप्ति की नीति और क्रियाविधि" के दस्तावेजों पर प्रचलित होंगे।

इसके अतिरिक्त बोली के दस्तावेजों के इस भाग-2 और भाग-3 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में भारत संघ की विधियां अधिशासी विधियां होंगी और उन पर नई दिल्ली के न्यायालयों का विशेष न्यायिक अधिकार-क्षेत्र होगा।

---

(1) इनमें *"क्षमता और सामर्थ्य का मूल्यांकन - ट्रांसमिशन लाईन टॉवर पैकेजों का निर्माण-कार्य शुरू करने वाले नए पक्षकारों के संबध में"* और *"बोली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए फर्मों की अयोग्यता और फर्मों की काली सूची/व्यवसाय प्रतिबंधित फर्मों की सूची"* में संशोधन शामिल हैं।

ख.1 भूमिका

1. निधियों के स्रोत

1.1 **बीडीएस** में नामक स्वामी को परियोजना के लिए घरेलू निधियन (स्वामी के आंतरिक संसाधनों/घरेलू ॠणों/बांडों) का उपयोग करना होगा।

पैकेज के लिए संविदा के अंतर्गत सभी पात्र भुगतान, जिसके लिए बोलियों के लिए आमंत्रण-पत्र जारी किया जाता है, **बीडीएस** में नामक नियोक्ता द्वारा किए जायेंगे।

2. पात्र बोलीदाता

2.1 नियोक्ता द्वारा जारी किया गया बोलियों का यह आमंत्रण-पत्र, सभी फर्मों के लिए खुला है, जिसमें कंपनी (कंपनियां) और भारत में पंजीकृत और कंपनी अधिनियम, 1996 के अनुसार निगमित सरकार के स्वामित्वाधीन उद्यमी शामिल हैं। इनमें सरकरी विभागों के साथ-साथ भारत में गैर-पंजीकृत और अनिगमित विदेशी बोलीदाता/एमएनसी और ऐसे बोलीदाता प्रतिबंधित हैं, जिनके साथ नियोक्ता का व्यवसाय प्रतिबंधित है।

2.2 बोलीदाता के हित का संघर्ष नहीं होगा। ऐसे सभी बोलीदाताओं को अयोग्य माना जाएगा जिनके हितों में संघर्ष होगा। ऐसे बोलीदाता को हित का संघर्ष माना जा सकता है, जिसका एक अथवा अधिक पक्षकार बोली की प्रक्रिया में शामिल होगा, यदि -

(क) उसका समान नियंत्रक भागीदार होगा; अथवा

(ख) उसे उनके किसी भी एक पक्षकार से सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक सहायता प्रापत होती है अथवा हुई है; अथवा

(ग) इस बोली के प्रयोजनार्थ उसका समान कानूनी प्रतिनिधि होता है; अथवा

(घ) उसका परस्पर रूप से कोई सीधा अथवा समान तृतीय पक्षकार के माध्यम से कोई संबंध होता है और इसके साथ ही उसे ऐसी स्थिति में सुथापित करता है जिससे वह संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है अथवा अन्य बोलीदाता के कार्य-क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता है अथवा इस बोली की प्रक्रियाके सबंध में नियोक्ता के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है; अथवा

(ङ) एक बोलीदाता इस बोली की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से एक से अधिक बोलियां प्रस्तुत करता है (जिसमें एक विनिर्माता अथवा अधिक विनिर्माताओं की ओर से प्रस्तुत बोलियां शामिल हैं) अथवा लाईसेंस के माध्यम से - लाईसेंस धारक के मार्ग से, जिसकी अनुबंध-क (**बीडीएस**) में बोलीदाताओं के लिए अर्हता की आवश्यकता के प्रावधान के अनुसार जहां कहीं भी अनुमत्त है अथवा संयुक्त उद्यम में एक सहभागी के रूप में, आईटीबी के अनुच्छेद 9.3 के अंतर्गत स्वीकृत वैकल्पिक पेशकशों को छोड कर। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप सभी ऐसी

बोलियों को अयोग्य माना जाएगा। तथापि, यह किसी अन्य बोली में उप-संविदाकार के रूप में बोलीदाता अथवा एक बोली से अधिक बोलियों के लिए एक उप-संविदाकार के रूप में फर्म की सहभागिता करने की सीमा तय नहीं करती है; अथवा

(च) एक बोलीदाता अथवा उसका कोई भी संबंधित पक्षकार संयंत्र का डिजायन अथवा विनिर्देशन तैयार करने और संस्थापना सेवाओं में सलाहकार के रूप में सहभागिता करता है, जो कि बोली के अध्यधीन है; अथवा

(छ) नियोक्ता द्वारा संविदा के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में किसी बोलीदाता को अथवा उसका किसी भी संबंधित पक्षकार को नियुक्त किया जाता है (अथवा उसकी सेवाओं को किराए पर लेने का प्रस्ताव है)।

2.3 बोलीदाता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता की एजेंसी पर निर्भर नहीं होगा।

2.4 यदि बोली की प्रकिया से पहले कोई पूर्व-अर्हता प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, तो उस स्थिति में यह बोली केवल पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं के लिए ही खुली है।

3. पात्र संयंत्र, उपस्कर और सेवाएं

3.1 बोली के इन दस्तावेजों के प्रयोजनार्थ "सुविधाएं", "संयंत्र" और "उपस्कर", "संस्थापना सेवाएं" आदि शब्दों को संविदा की सामान्य शर्तों में उनके बारे में दी गई परिभाषाओं के अनुसार माना जाएगा।

3.2 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति और संस्थापित किए जाने वाले सभी संयंत्र और उपस्कर तथा संचालित किए जाने वाली सेवाओं का मूल उदगम ऐसे किसी भी देश से होगा, जिनके साथ व्यवसाय करने के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और लेकिन ऐसी फर्में प्रतिबंधित हैं, जिनके साथ व्यवसाय करने के लिए नियोक्ता ने प्रतिबंध लगाया हुआ है।

3.3 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "मूल उदगम" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है, जहां संयंत्र अथवा उपस्कर अथवा उसके संघटक के कलपुर्जे खदान से निकाले जाते हैं, विकसित अथवा उत्पादित किए जाते हैं। संयंत्र और उपस्कर का उत्पादन तब किया जाता है, जब विनिर्माण, संसाधन अथवा संघटकों के पर्याप्त और अधिकतर संयोजन से वाणिज्यिक रूप से मान्यता प्राप्त उत्पाद निर्मित होने के फलस्वरूप ऐसा उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि उसके संघटकों के विशेषगुणों अथवा प्रयोजनार्थ अथवा प्रयोज्य होता है।

3.4 संयंत्र, उपस्कर और सेवाओं का मूल उदगम स्थान बोलीदाता की राष्ट्रीयता से भिन्न होता है।

4. बोली की लागत

4.1 बोलीदाता अपनी बोली को तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने पर आने वाली सभी सहयोजित लागतों का स्वयं वहन करेगा, जिनमें बोली पश्चात विचार-विमर्श, तकनीकी और अन्य प्रस्तुतीकरण आदि की लागत शामिल होंगी और नियोक्ता किसी भी स्थिति में इन लागतों

का वहन नहीं करेगा अथवा वहने करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही बोली की प्रक्रिया का कोई भी संचालन अथवा परिणाम हो।

4.2 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने मेसर्ज टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के उनके पोर्टल https://www.tel-india-electronicstender.com पर अपना पंजीकरण करा लिया है। उक्त पंजीकरण निशुल्क होगा।

ख. बोली देने के दस्तावेज

5. बोली के दस्तावेजों की सामग्री

5.1 बोली के दस्तावेजों में उल्लिखित अपेक्षित सुविधाओं, बोली की क्रियाविधियों, निर्धारित संविदा की शर्तों और तकनीकी आवश्यकताओं में निम्नोक्त समाविष्ट हैं और यदि उनमें कोई संशोधन किया जाता है, तो वे भी शामिल होंगे:-

वोल्यूम - 1	संविदा की शर्तें	
भाग - 1	बोलियां आमंत्रित करना (आईएफबी)	
भाग - 2	बोलीदाताओं को अनुदेश (आईटीबी)	
भाग - 3	बोली के आंकडों की शीट (**बीडीएस**)	
भाग - 4	संविदा की सामान्य शर्ते (जीसीसी)	
भाग - 5	संविदा की विशेष शर्ते (एससीसी)	
भाग - 6	नमूना प्रपत्र और क्रिया-विधि (पीपी)	
	1.1	बोली का प्रपत्र और कीमत की अनुसूची
	1.2	बोली का प्रपत्र
	2.	कीमत की अनुसूची
	3	नियोक्ता द्वारा बैंक को जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रपत्र
	4.	संविदा प्रदान करने की अधिसूचना कीमत का प्रपत्र
	4. (क)	संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति करने के लिए "संविदा प्रदान करने की अधिसूचना" का प्रपत्र
	4. (ख)	संयंत्र और उपस्कर की स्थापना करने के लिए "संविदा प्रदान करने की अधिसूचना" का प्रपत्र
	5.	संविदा करार का प्रपत्र
	5.1	परिशिष्ठ - 1: भुगतान की शर्तें और क्रियाविधि

	5.2	परिशिष्ठ - 2: कीमत का समायोजन
	5.3	परिशिष्ठ - 3: बीमी की आवश्यकताएं
	5.4	परिशिष्ठ - 4: समय की अनुसूची
	5.5	परिशिष्ठ - 5: अनुमोदित उप-संविदाकारों की सूची
	5.6	परिशिष्ठ - 6: नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य और आपूर्ति का अधिकार क्षेत्र
	5.7	परिशिष्ठ - 7: अनुमोदन अथवा समीक्षा के लिए दस्तावेजों की सूची
	5.8	परिशिष्ठ - 8 (क) : गारंटी, कार्य नहीं करने पर क्षतियों के लिए परिस्माप्ति परिशिष्ठ - 8 (ख) : कार्यात्मक गारंटी
	5.9	परिशिष्ठ - 9: संविदा समन्वय क्रियाविधि
	5.10	परिशिष्ठ - 10: ऑन अकाउंट भुगतान करने के प्रयोजनार्थ संविदा कीमत का ब्यौरा
	5.11	सत्यानिष्ठा की संविदा
	5.12	सुरक्षा की संविदा
	6.	कार्य-निष्पादन की प्रतिभूति का प्रपत्र
	7.	अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र
	8.	अधिग्रहण करने के प्रमाणपत्र का प्रपत्र
	9.	संविदाकार को उसकी संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता द्वारा उसे एक बार सौंपे जाने वाले उपस्कर के लिए संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड का प्रपत्र
	10.	संविदाकार को उसकी संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता द्वारा उसे किस्तों में सौंपे जाने वाले उपस्कर के लिए संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड का प्रपत्र
	11.	प्राधिकार देने के पत्र का प्रपत्र
	12.	प्राप्त हुए संयंत्र, उपस्कर और सामग्री के लिए विश्वास प्राप्ति का प्रपत्र
	13.	बैंक गारंटी देने का प्रपत्र
	14.	संयुक्त उद्यम के लिए पावर ऑफ अटोर्नी का प्रपत्र

	15.	संयुक्त उद्यम करार का प्रपत्र
	16.	ऋण प्राप्त करने अथवा उसकी उपलब्धता/सुविधाएं प्राप्त करने के साक्ष्य का प्रपत्र
	17.	प्रचालनात्मक स्वीकार्यता का प्रपत्र
	18.	संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा योजना का प्रपत्र
	19.	एमएसई वेंडरों से की गई अधिप्राप्ति के संबंध में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रपत्र

वोल्यूम-2 : तकनीकी विनिर्देशन

वोल्यूम-3 : बोली देने का प्रपत्र, कीमत, अनुसूचियां और तकनीकी आंकडों की शीट

5.2 बोलीदाता से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह बोली के दस्तावेजों में समाविष्ट सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों, विनिर्देशनों और अन्य सूचना की जांच करेगा। बोली के दस्तावेजों में अपेक्षित समस्त सूचना प्रस्तुत नहीं करने पर अथवा बोली के दस्तावेजों के अनुसार उसके प्रत्येक पहलु के संबंध में पर्याप्त उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में बोलीदाता को अपनी बोली के खारिज किए जाने का जोखिम उठाना पडेगा।

5.3 कार्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख, बोली के दस्तावेजों के वोल्यूम-2 में "तकनीकी विनिर्देशन" के अंतर्गत किया गया है।

नियोक्ता द्वारा कार्यक्रम संबंधी अनुलग्नकों और कीमत संबंधी अनुसूचियों को तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है। बोलीदाताओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थल पर प्रायोगिक प्रचालन की बारीकी से जांच करेंगे और यदि प्रचालन में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसमें सुधार लाने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता को गणितकीय, संभार तंत्रीय, रचनात्मक अथवा किसी अन्य त्रुटि के बारे में सूचित करेंगे। इस संबंध में यदि किसी संशोधन अथवा संशोधनों से त्रुटि का आशोधन किया जाना है, तो मूल्यांकन के लिए त्रुटि को बोली के दस्तावेजों के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आशोधित किया जाएगा।

5.4 आईटीबी के उप-अनुच्छेद 5.5 के अनुपालन में छूट प्राप्त बोलीदाताओं को छोड कर सभी बोलीदाता, बोली की हार्ड कॉपी पार्ट के साथ बोली के दस्तावेजों की लागत के लिए **बीडीएस** में यथा-निर्धारित अप्रत्यर्पणीय शुल्क अदा करेंगे, जो कि पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली/गुढगांव में देय होगा।

5.5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ अथवा पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमी (एमएसई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के अंतर्गत भारत सरकार के किसी भी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) को, सूक्ष्म और लघु उद्यमी (एमएसई) के आदेश 2012 के अंतर्गत सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के प्रावधानों के अनुसार बोली के दस्तावेजों की लागत के लिए शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त है। यह छूट ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण करने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी।

6. बोली के दस्तावेजों और बोली पूर्व बैठक का सपष्टीकरण

6.1 यदि किसी प्रत्याशित बोलीदाता को बोली के दस्तावेजों के संबंध में किसी सपष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वह https://www.tel-india-electronicstender.com के पोर्टल पर किए गए प्रावधानों द्वारा नियोक्ता को सूचित कर सकता है। तथापि, बोलीदाता **बीडीएस** में निर्दिष्ट नियोक्ता के डाक के पते पर लिखित में अथवा केबिल {जिसे आगे इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) अथवा टेलेक्स भी कहा गया है} से भी सपष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि बोलीदाता दस्तावेजों में किसी ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान की आवश्यकता महसूस करता है, जिसे आईटीबी के उप-अनुच्छेद 22.3.1 में सूचीबद्ध किया गया है, तो वह स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन ऐसे मुद्दे को उपरोक्त अनुसार उठाया जाना चाहिए। नियोक्ता बोली के दस्तावेजों के बारे में सपष्टीकरण दिए जाने अथवा संशोधन करने के बारे में प्राप्त हुए किसी भी अनुरोध का उत्तर https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल के माध्यम से देगा, यदि ऐसा अनुरोध, नियोक्ता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई मूल समय-सीमा से पूर्व अठाईस (28) दिनों (यदि **बीडीएस** में अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाता है) के बाद नहीं प्राप्त होता है। नियोक्ता उपरोक्त तारीख के बाद सपष्टीकरण देने के लिए प्राप्त हुए किसी भी अनुरोध का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बोलीदाताओं से सपष्टीकरण का अनुरोध मात्र, बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को बढाने की मांग करने का आधार नहीं होगा। नियोक्ता के उत्तर (प्रश्न के सपष्टीकरण सहित लेकिन उसके स्रोत की पहचान किए बिना) को https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिस पर सभी बोलीदाता सपष्टीकरण/प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं।

6.2 बोलीदाता को यह सलाह दी जाती है कि वह ऐसी साईट को देखे और उसकी और उसके प्रतिवेश की जांच करे, जिसमें सुविधाएं संस्थापित की जानी है और बोली तैयार करने के लिए आवश्यक समस्त सूचनाओं की लागत जानने के बारे में वह स्वयं निजी जिम्मेदारी ले और तथा

सुविधाओं की आपूर्ति और संस्थापना करने के लिए संविदा करें। साईट को देखने की लागत का वहन बोलीदाता को स्वयं करना होगा।

6.3 कार्य-स्थल का निरीक्षण करने के लिए बोलीदाता और उसके किसी भी कार्मिक अथवा एजेंट को नियोक्ता द्वारा उसके परिसरों और भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसी अनुमति केवल इस शर्त पर होगी कि बोलीदाता और उसके कार्मिक अथवा एजेंट नियोक्ता और उसके कार्मिकों और एजेंटों को उसके संबंध में सभी प्रकार की देयताओं से मुक्त रखेंगे और वे ऐसा निरीक्षण करने पर कोई मृत्यु होने या व्यक्तिगत क्षति होने, परिसम्पति के नाश होने अथवा क्षति होने और किसी भी प्रकार की अन्य क्षति, नुकसान होने, लागत आने और व्यय होने के लिए जिम्मेदार होंगे।

6.4 यदि कोई बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाती है, तो वह **बीडीएस** में निर्धारित स्थल और समय पर होगी और उसमें शामिल होने के लिए बोलीदाता के निर्दिष्ट प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसी बैठक का उद्देश्य ई-प्रोक्युरमेंट की विधि, सामान्यतया बोली के दस्तावेजों और विशेषतया तकनीकी विनिर्देशनों के बारे में किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के बारे में होगी। बोलीदाता से अनुरोध किया जाता है कि वह यथासंभव लिखित रूप में अपने प्रश्न प्रस्तुत करे, जो कि नियोक्ता को बैठक होने से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाए। बैठक में विलंब से प्राप्त हुए प्रश्नों के उत्तर देना व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन प्रश्नों और उत्तरों को संचारित कर दिया जाएगा, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। बैठक का कार्यवृत्त उठाए गए प्रश्नों (बोलीदाताओं के नामों का उल्लेख किए बिना) और दिए गए उनके उत्तर और बैठक के बाद तैयार किए गए किसी उत्तर के साथ केवल ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टल के माध्यम से अविलंब संचारित किए जायेंगे। आईटीबी के उप-अनुच्छेद 5.1 में सूचीबद्ध बोली के दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन, जिसे बोली-पूर्व बैठक के फलस्वरूप करना आवश्यक होगा, तो उसे विशेषकर नियोक्ता द्वारा आईटीबी के अनुच्छेद 7 के अनुपालन में शुद्धिपत्र द्वारा जारी किया जाएगा और न कि बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त द्वारा।

बोली-पूर्व बैठक में अनुपस्थिति, बोलीदाता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

7. बोली के दस्तावेजों में संशोधन

7.1 बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख से पूर्व किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारणवश या तो अपनी पहल पर अथवा प्रत्याशित बोलीदाताओं द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुरोध के प्रत्युत्तर में बोली के दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।

7.2 ऐसे संशोधन केवल https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल पर अधिसूचित किए जायेंगे। अनुसार पोर्टल द्वारा संशोधन की अधिसूचना के संबंध में संप्रेषण/चेतावनी सूचना ऐसे सभी प्रत्याशित बोलीदाताओं को सीधे भेजी जाएगी जिन्होंने पोर्टल के प्रावधानों के अनुसार बोली के दस्तावेजों को डाउनलोड किया है। दस्तावेजों में संशोधन बोलीदाताओं पर बाध्य होंगे और पोर्टल के माध्यम से प्रत्याशित बोलीदाताओं को पोर्टल द्वारा संप्रेषित संशोधनों की अधिसूचना से ऐसा माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने अपनी बोलियों में बोली के दस्तावेजों में किए गए संशोधन/संशोधनों को ध्यान में रखा है।

7.3 प्रत्याशित बोलीदाताओं को बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए ताकि वे अपनी बोलियों को तैयार करने के लिए ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखे, नियोक्ता अपने विवेकाधिकार के अनुसार बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम समय को बढा सकता है और ऐसे मामले में नियोक्ता https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल के माध्यम से सभी प्रत्याशित बोलीदाताओं को अधिसूचित करेगा, जो कि ऐसी बढाई हुई अवधि को पोर्टल पर देख सकते हैं।

नियोक्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त कारणवश बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम समय को बढाने के मामले में प्रत्याशित बोलीदाता, पोर्टल में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार बढाई गई ऐसी अंतिम समय से पांच मिनट पहले https://www.tel-india-electronictender.com से बोली के दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं।

ग. बोलियां तैयार करना

8. बोली की भाषा

8.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली तथा बोली के संबंध में बोलीदाता और नियोक्ता के बीच किए गए समस्त पत्राचार तथा आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों पर अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा, बशर्ते कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गया कोई भी मुद्रित साहित्य यदि अन्य भाषा में लिखित गया हो, तो उसके साथ ऐसे साहित्य के प्रमुख अत्यावश्यक भाग का अंग्रेजी भाषान्तर प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे मामले में बोली के प्रतिपादन के प्रयोजनार्थ उसका अंग्रेजी रूपान्तरण मान्य होगा।

9. बोली में समाविष्ट दस्तावेज

I. हार्ड कॉपी पार्ट

बोली के हार्ड कॉपी पार्ट में निम्नोक्त दस्तावेज शामिल होंगे, जिन्हें **पहले लिफाफे** के भाग के रूप में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा :-

(1) आईटीबी के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार यथा विनिश्चित बोली के दस्तावेज के शुल्क की राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा आईटीबी के अनुच्छेद 5.5 के अनुसार बोली के दस्तावेज के शुल्क की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

(2) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 13 के अनुसार बोली की प्रतिभूति (मूल रूप में) अथवा बोली की प्रतिभूति के छूट के समर्थन में उसका दस्तावेजी साक्ष्य अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(3) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (ओ) के अनुसार सत्य निष्ठा समझौता (मूल रूप में) अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(4) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (क) के अनुसार पॉवर ऑफ अटार्नी।

(5) संयुक्त उद्यम की बोली के मामले में संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम की पॉवर ऑफ अटार्नी, दोनों मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

(6) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (एस) के अनुसार सुरक्षा समझौता (मूल रूप में) पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(7) बोलीदाताओं को बोलीदाता/विनिर्माता के साथ सहयोगी द्वारा किए गए संयुक्त विलेख, जो कि विधिवत् हस्ताक्षरित होगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगी होगी, यदि अनुबंध-3 **(बीडीएस)** के अनुसार लागू होता है, मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे और

(8) **बीडीएस में विनिश्चित किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज, जो कि विधिवत् हस्ताक्षरित होगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगी होगी, प्रस्तुत करना होगा।**

बोलीदाता को यह नोट करना होगा कि हार्ड कॉपी में दूसरे लिफाफे के भाग के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

II. सॉफ्ट कॉपी पार्ट

बोली के सॉफ्ट कॉपी पार्ट में निम्नोक्त दस्तावेज शामिल होंगे, जिन्हें पोर्टल में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपलोड किया जाएगा :-

(क) पहले लिफाफे के एक भाग के रूप में

(1) जैसा कि पोर्टल पर उलब्ध है, पहले लिफाफे के लिए विधिवत् भरा गया बोली का इलेक्ट्रोनिक फार्म/टेम्पलेट।

(2) कार्यक्रम की फाईल – पहले लिफाफे के लिए एमएस एक्सिल फार्मेट में संलगनक (बोली के प्रपत्र का संलगनक जिसमें क्यूआर का संलगनक शामिल है) और उसका संशोधन, जिसमें विभिन्न संलगनक निहित होंगे, सत्यनिष्ठा का समझौता और बोली का प्रपत्र ।

(3) आईटीबी के अनुच्छेद 15.4 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की स्केन्ड प्रतियां।

(ख) दूसरे लिफाफे के एक भाग के रूप में

(1) दूसरे लिफाफे (कीमत – भाग) के लिए विधिवत् भरा गया बोली का इलेक्ट्रोनिक फार्म/टेम्पलेट, जिसमें कीमत के ब्यौरों के संक्षिप्त विवरण को शामिल किया जाएगा।

(2) दूसरे लिफाफे के लिए एमएस एक्सिल फार्मेट में कीमत की अनुसूचियां और बोली के प्रपत्र निहित होंगे।

III. पासफ्रेज

पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बोक्स (ईकेबी) द्वारा पहले लिफाफे और दूसरे लिफाफे के लिए पासफ्रेज।

9.1 बोली देने की क्रियाविधि के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली को "एकल चरण – दो लिफाफे" के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्रियाविधि के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा बोली को दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा – **पहले लिफाफे** (जिसे तकनीकी-वाणिज्यिक भाग भी कहा गया है) और **दूसरे लिफाफे** (जिसे कीमत भाग भी कहा गया है) में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

पहला लिफाफा

(क) बोलीदाता द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित बोली का प्रपत्र **(पहला लिफाफा)**, https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल पर यथा अपलोडिड सभी संलगनक और तकनीकी डाटा शीट्ज (वोल्यूम-3 में यथा उपलब्ध) के साथ, जिनका उल्लेख नीचे आईटीबी के उप-अनुच्छेद 9.3 में किया गया है।

(ख) ऊपर 1.1 में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी:-

(1) आईटीबी के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार यथा विनिश्चित बोली के दस्तावेज के शुल्क की राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा आईटीबी के अनुच्छेद 5.5 के अनुसार बोली के दस्तावेज के शुल्क की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

(2) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 13 के अनुसार बोली की प्रतिभूति (मूल रूप में) अथवा बोली की प्रतिभूति के छूट के समर्थन में उसका दस्तावेजी साक्ष्य अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(3) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (ओ) के अनुसार सत्य निष्ठा समझौता (मूल रूप में) अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(4) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (क) के अनुसार पॉवर ऑफ अटार्नी।

(5) संयुक्त उद्यम की बोली के मामले में संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम की पॉवर ऑफ अटार्नी, दोनों मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

(6) आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (एस) के अनुसार सुरक्षा समझौता (मूल रूप में) पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

(7) बीडीएस में विनिश्चित किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज, जो कि विधिवत् हस्ताक्षरित होगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगी होगी, प्रस्तुत करना होगा।

(ग) पोर्टल पर उपलब्ध् प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बोक्स (ईकेबी) द्वारा पहले लिफाफे के लिए पासफ्रेज।

दूसरा लिफाफा

(क) बोलीदाता द्वारा विधिवत् पूरा भरा गया और हस्ताक्षरित बोली का प्रपत्र **(दूसरा लिफाफा)**, https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल पर यथा अपलोडिड कीमत अनुसूचियों (वोल्यूम-3 में यथा उपलब्ध्) के साथ।

(ख) पोर्टल पर उपलब्ध् प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बोक्स (ईकेबी) द्वारा दूसरे लिफाफे के लिए पासफ्रेज।

9.2 बोलीदाता यह नोट करेंगे कि यदि **बीडीएस** के अनुसार अनुमति दी जाती है, तो वे तकनीकी विनिर्देशनों में विनिश्चित कार्य-क्षेत्र के भीतर एक वैकल्पिक बोली प्रस्तुत करने के

हकदार होंगे। ऐसे मामलों में बोलीदाताओं को बोली के साथ प्रस्तुत किए गए संलगनक 7 में पूरे ब्यौरे भरने होंगे और उनके औचित्य आदि का उल्लेख करना होगा, जैसा कि नीचे आईटीबी के उप-अनुच्छेद 9.3 में उल्लेख किया गया है।

9.3 बोलीदाता https://www.tel-india-electronictender.com के पोर्टल पर यथा अपलोडिड निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी और जहां कहीं भी निर्धारित किया गया है, वहां दस्तावेजों की हार्ड कॉपी, तकनीकी-वाणिज्यिक भाग (पहले लिफाफे) के साथ उपरोक्त आईटीबी के उप-अनुच्छेद 9.1 में विनिश्चित तरीके से प्रस्तुत करेंगे।

(क) *संलगनक 1* : बोली की प्रतिभूति (यदि आवश्यक है) अथवा बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य *(बोली की प्रतिभूति के लिए "मूल रूप से" हार्ड कॉपी और छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के लिए "प्रति" में प्रस्तुत करना)*।

बोली की प्रतिभूति अथवा बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य को मुहरबंद पृथक लिफाफों में आईटीबी के अनुच्छेद 13 और आईटीबी के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदाता को बोली की प्रतिभूति अथवा बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) *संलगनक 2* : पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्तारनामा) *(हार्ड कॉपी को "मूल रूप" में प्रस्तुत करना और स्कैन्ड कॉपी की अपलोडिंग करना होगा)*।

विधिवत् नोटरीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि बोली को हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है और इस प्रकार आईटीबी के अनुच्छेद 14 के अनुसार बोली की समस्त वैधता अवधि के दौरान बोली बोलदाता पर बाध्यकारी है।

उपरोक्त दस्तावेजों की दूसरी प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(ग) *संलगनक 3* : बोलीदाता की पात्रता और अर्हता *(बोलीदाता की योग्यता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य की स्कैन्ड प्रतियों की अपलोडिंग। संयुक्त उद्यम की बोली के मामले में संयुक्त उद्यम के करार और संयुक्त उद्यम के मुख्तारनामे के मूल रूप की हार्ड कॉपी)*।

पूर्वअर्हता नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता को यह प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वह आईटीबी के अनुच्छेद 2 के अनुसार बोली के लिए पात्र है और यदि उसकी बोली को स्वीकार किया जाता है, तो वह अनुबंध-क **(बीडीएस)** के अनुसार संविदा को निष्पादित करने के लिए योग्यता प्राप्त है।

बोली के लिए बोलीदाता का दस्तावेजी साक्ष्य नियोक्ता की संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता बोली प्रस्तुत किए जाने के समय आईटीबी के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित अनुसार पात्र है।

यदि बोली को स्वीकार कर लिया जाता है, तो संविदा को निष्पादित करने के लिए बोलीदाता की अर्हताओं का दस्तावेजी साक्ष्य, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता वित्तीय, तकनीकी, उत्पादन, अधिप्राप्ति, नौपरिवहन, संस्थापना करने में सक्षम है और वह संविदा को निष्पादित करने के लिए जरूरी अन्य क्षमताएं और विशेष रूप से अनुबंध-क **(बीडीएस)** में उल्लिखित बोलीदाताओं के लिए अर्हता की आवश्यकता में उल्लिखित अनुभव प्राप्त है और अन्य मानदंड को पूरा करता है और उसमें निम्नोक्त भी शामिल होंगे:-

दस्तावेजी साक्ष्य जो निश्चित करेंगे - (1) संविधान अथवा अवस्थिति; (2) कारोबार करने का मुख्य स्थल और (3) निगमन किए जाने का स्थल (ऐसे बोलीदाताओं के लिए जो कि निगम हैं) अथवा स्वामियों के पंजीकरण का स्थल और राष्ट्रीयता (ऐसे आवेदकों के लिए जो कि सहभागी हैं अथवा जिनकी अपनी निजी फर्में हैं)।

कानूनी ढांचे/स्वामित्व में यदि कोई प्रत्याशित परिर्वतन किया जाना है, तो उसकी घोषणा।

बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तात्कालिक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिए कंपनी के लेखा-परीक्षित विवरणों (पृथक) के साथ उसकी संपूर्ण वार्षिक रिपोर्टें। इसके अतिरिक्त बोलीदाता को कंपनी के वित्तीय पुनर्निमाण, यदि कोई है, के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य/घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

{टिप्पणी - 1: बोलीदाता द्वारा एक सहायक कंपनी होने पर स्वयं (अर्थात् पृथक रूप से) उपरोक्त सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने और उसके लेखाओं को समूह/धारक/मूल

कंपनी के साथ संघठित किए जाने की स्थिति में बोलीदाता को, लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, आय का विवरण, केवल उससे संबंधित (उसके समूह/धारक/मूल कंपनी की नहीं) अन्य सूचना, किसी भी एक प्रधिकारी {(1) बोलीदाता का सांविधिक लेखा-परीक्षक, (2) बोलीदाता का कंपनी सचिव और (3) एक प्रमाणित लोक लेखाकार} द्वारा ऐसा विधिवत् प्रमाणित किए जाने पर कि ऐसी सूचना/दस्तावेज, जैसी भी स्थिति हो, लेखा-परीक्षित लेखाओं पर आधारित है, प्रस्तुत करनी चाहिए।

टिप्पणी – 2: इसी प्रकार यदि बोलीदाता, समूह/धारक/मूल कंपनी है, तो बोलीदाता को स्वयं (अर्थात् अपनी सहायक कंपनियों को छोड कर निजी) उपरोक्त दस्तावेज/सूचना, टिप्पणी-1 में उल्लिखित किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए जाने पर कि ऐसी सूचना/दस्तावेज, जैसी भी स्थिति हो, लेखा-परीक्षित लेखाओं पर आधारित है, प्रस्तुत करनी चाहिए।**}**

बीडीएस में यदि अन्यथा उल्लेख नही किया जाता है, तो भागीदारों के रूप में दो अथवा अधिक फर्मों के एक संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को, यदि अनुबंध-क **(बीडीएस)** में निर्धारित अर्हता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुमति दी जाती है, तो उसे निम्नलिखित आवश्यकतओं को पूरा करना होगा:-

(1) बोली में प्रत्येक संयुक्त उद्याम सहभागी के लिए उपरोक्त अनुसार संलगनक 3 के लिए अपेक्षित समस्त सूचना को शामिल करना होगा।

(2) बोली हस्ताक्षरित होगी ताकि वह सभी सहभागियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

(3) संविदा के एक प्रमुख संघटक के लिए उत्तरदायी एक सहभागी को एक अग्रणी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे प्राधिकार के साक्ष्य के रूप में बोली के साथ भाग-6 के प्रपत्र-14 के अनुसार कानूनी रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) अग्रणी को संयुक्त उद्यम के किसी भी सहभागी और सभी सहभागियों की ओर से देयताओं को पूरा करने और अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा तथा भुगतान करने सहित संविदा का समग्र क्रियान्वयन, विशेष रूप से अग्रणी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि संयुक्त उद्यम द्वारा अन्यथा अनुरोध किया गया हो और नियोक्ता और अग्रणी के बीच सहमति हुई हो।

(5) संयुक्त उद्यम के सभी सहभागी संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा का क्रियान्वयन करने के लिए संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) संयुक्त उद्यम के सहभागियों द्वारा किए गए करार की एक प्रति, भाग-6 के प्रपत्र-15 के अनुसार बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक रूप से है, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल किए गए प्रत्येक सहभागी के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का उल्लेख होगा ।

(7) संयुक्त उद्यम के करार में आयोजना, डिजायन, विनिर्माण, आपूर्ति, संस्थापना, चालू करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सहभागियों के उत्तरदायित्वों का स्पषट रूप से उल्लेख होगा। संयुक्त उद्यम के सभी सहभागियों को संविदा की कार्य अवधि के दौरान उसके क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहभागिता करनी चाहिए। नियोक्ता का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संविदा के कार्यों में बाद में कोई भी परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

अर्हता प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक सहभागी को अथवा सहभागियों के समूह को संविदा के संघटक के लिए यदि एक विशेष पृथक बोलीदाता को विनिर्दिष्ट किया गया है, तो उसे संलग्न अनुबंध-क **(बीडीएस)** में बोलीदाता के लिए अर्हता की आवश्यकता में सूचीबद्ध न्यूनतम मानदंड को पूरा करना चाहिए। इस आवश्यकता को पूरा नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

एक फर्म केवल एक संयुक्त उद्यम में एक सहभागी हो सकती है। ऐसे संयुक्त उद्यमों अथवा समूह द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिनमें एक समान फर्म सहभागी के रूप में शामिल होगी।

ऐसे बोलीदाता के मामले में जिसने संविदा के अंतर्गत ऐसे संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति करने और/अथवा उनको संस्थापित करने की पेशकश की है, जिसे बोलीदाता ने विनिर्मित नहीं किया है अथवा अन्यथा उत्पादित किया गया है और/अथवा संस्थापित किया है, बोलीदाता के पास (1) संविदा को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय और अन्य जरूरी सामर्थ्य होना चाहिए; (2) बोलीदाता को नियोक्ता के देश में उक्त मद की आपूर्ति करने और/अथवा संस्थापित करने के लिए संलगनक-8 में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार

संबंधित संयंत्र और उपस्कर अथवा संघटक के विनिर्माता अथवा उत्पादक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाना चाहिए और (3) वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विनिर्माता अथवा उत्पादक आईटीबी के उप-अनुच्छेद 3.2 में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और उक्त मद के लिए एक विशिष्ट बोलीदाता के लिए सूचीबद्ध न्यूनतम मानदंड को पूरा करता है।

(घ) *संलगनक 4* **:** पात्रता और सुविधाओं की समनुरूपता *(स्कैन्ड कॉपी की अपलोडिंग)*

आईटीबी के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य यह प्रमाणित करता है कि बोलीदाता द्वारा अपनी बोली अथवा किसी वैकल्पिक बोली (यदि उसके लिए आईटीबी के उप-अनुच्छेद 9.2 के अनुपालन में अनुमति दी जाती है) में पेश की गई सुविधाएं पात्र हैं और ये बोली के दस्तावेजों के समनुरूप हैं।

सुविधाओं की पात्रता के दस्तावेजी साक्ष्य में पेश किए गए संयंत्र और उपस्कर के मूल देश पर विवरण शामिल होगा, जिसकी संपुष्टि लदान के समय जारी किए गए उदगम प्रमाणपत्र द्वारा की जाएगी।

बोली के दस्तावेजों में सुविधाओं के समनुरूप दस्तावेजी साक्ष्य साहित्य, रेखा-चित्र और आंकडों के रूप में होगा और वह निम्नोक्त प्रस्तुत करेगा:-

(1) असुविधाओं की अनिवार्य तकनीकी और कार्य-निष्पादन संबंधी गुणक्षमताओं का एक व्यापक विवरण।

(2) सभी विवरणों को निर्दिष्ट करने वाली एक सूची, जिसमें संविदा के प्रावधानों के अनुसार सुविधाओं को पूर्णतया संस्थापित करने के बाद पन्द्रह (15) वर्षों की अवधि के लिए ऐसी सुविधाओं के उचित और निरंतर कार्यचालन के लिए जरूरी सभी सहायक कलपुर्जों, विशेष उपकरणों आदि के उपलब्ध स्रोत शामिल होंगे।

(3) नियोक्ता के तकनीकी विनिर्देशनों पर एक व्याख्या और उन विनिर्देशनों के प्रति सुविधाओं की पर्याप्त प्रतिक्रियाओं को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य। बोलीदाता यह नोट करेंगे कि नियोक्ता द्वारा बोली के दस्तावेजों में कार्यकुशलता, सामग्री और उपस्कर के विनिर्दिष्ट मानक विवरणात्मक मात्र हैं (जो कि गुणवत्ता और कार्य-निष्पादन के मानकों को स्थापित करते हैं) और ये प्रतिबंधित नहीं हैं। बोलीदाता अपनी बोली में वैकल्पिक मानकों, ब्रांड नामों और/अथवा केटालोग संख्या को प्रतिस्थापित कर सकता है, बशर्ते कि यह नियोक्ता को इस तथ्य से

संतुष्ट करे कि ऐसे प्रतिस्थापन, पर्याप्त रूप से तकनीकी विनिर्देशनों में विनिर्दिष्ट मानकों के समान हैं अथवा उनसे श्रेष्ठ हैं।

(4) पेश की गई बिक्री पश्चात सेवा सहायता से संबंधित समस्त ब्यौरे।

(5) नियोक्ता के कार्मिकों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण से संबंधित समस्त ब्यौरे।

(6) प्रश्नावली में उल्लिखित सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर, यदि बोली के दस्तावेजों में ऐसा निर्धारित किया जाता है।

(7) तकनीकी विनिर्देशन, वोल्यूम-2 के अनुसार प्रस्ताव की प्रभावनीयता को प्रमाणित करने के ब्यौरे।

(ङ) *संलगनक 5* **:** बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित उप-संविदाकार

बोलीदाता अपनी बोली में आपूर्ति की सभी प्रमुख मदों और सेवाओं के ब्यौरों को शामिल करेगा जिनको वह खरीदने अथवा किराए पर देने का प्रस्ताव करता है और ऐसी प्रत्येक मद के लिए विक्रेताओं सहित प्रस्तावित उप-संविदाकार के नाम और राष्ट्रीयता के ब्यौरे देगा। बोलीदाता सुविधाओं की प्रत्येक मद के लिए एक से अधिक उप-संविदाकारों की सूची देने के लिए स्वतंत्र है। उनकी सहभागिता की संपुष्टि, आवश्यकता अनुसार संलगनक 8 में पक्षकारों के बीच इस आशय के पत्र से की जाएगी। जिस किसी भी उप-संविदाकार को नियुक्त किया जाता है, उस पर उधृत दरों और कीमतों को लागू किया गया माना जाएगा और ऐसी दरों और कीमतों में किसी भी प्रकार का समायोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रस्तावित कोई भी उप-संविदाकार आईटीबी अनुच्छेद 2 का अनुपालन करेगा और उप-संविदाकार द्वारा प्रदान किया जानेवाला कोई भी संयंत्र, उपस्कर अथवा सेवाएं आईटीबी अनुच्छेद 3 की आवश्यकताओं और संलग्न अनुबंध-3 (बीडीएस) के अनुसार बोलीदाता के लिए अर्हता की आवश्यकता को तथा तकनीकी विनिर्देशन, वोल्यूम-2 में दिए गए उप-संविदाकारों अथवा उप-विक्रेताओं के लिए अर्हता की आवश्यकता को पूरा करेगा/करेंगी।

नियोक्ता के पास संविदा प्रदान करने से पहले तथा नियोक्ता और संविदाकार के बीच परिचर्चा करने के बाद सूची में से किसी भी प्रस्तावित उप-संविदाकों को हटाने का अधिकार सुरक्षित होगा। संविदा करार के प्रपत्र के तदनुरूप परिशिष्ठ को पूरा किया

जाएगा, जिसमें संबंधित प्रत्येक मद के लिए अनुमोदित उप-संविदाकारों की सूची शामिल होगी।

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(च) *संलगनक 5 (क)* : (सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के स्रोत से प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित मदें, संघटक, कच्ची सामग्री और सेवाएं)

नियोक्ता सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के विकास को बढावा देने के लिए संविदाकार को सूक्ष्म और लघु उद्यमियों से मदें, संघटक, कच्ची सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बोलीदाता ऐसी मदों, संघटकों, कच्ची सामग्री और सेवाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जिनको वे निर्माण कार्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों से खरीदने/प्राप्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

(छ) *संलगनक 6* : विचलन

बोलियों का मूल्यांकन सुकर बनाने के लिए शर्तों अथवा तकनीकी विनिर्देशनों से यदि किसी प्रकार का कोई विचलन होता है, तो उसे बोली के संलगनक 6 में सूचीबद्ध किया जाएगा। बोलीदाता को ऐसे विचलनों के लिए वापस लेने की लागत का भुगतान करना आवश्यक होगा। तथापि, ऐसी बोलियों को अस्वीकार करने के संबंध में जो कि बोली के दस्तावेजों की आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त रूप से प्रभावनीय नहीं हैं, बोलीदाताओं का ध्यान आईटीबी के उप-अनुच्छेद 22.3 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

बोलीदाता का ध्यान आईटीबी के उप-अनुच्छेद 22.3.1 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

(ज) *संलगनक 7* : वैकल्पिक बोलियां

(1) वैकल्पिक सामय अनुसूची वाली बोली अस्वीकार्य है।

(2) नीचे उप-पैरा (3) में उल्लिखित व्यवस्था को छोड कर बोली के दस्तावेजों की आवश्यकताओं के प्रति तकनीकी विकल्पों का प्रस्ताव करने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को सबसे पहले बोली के दस्तावेजों में यथा वर्णीत सुविधाओं के

नियोक्ता के डिजायन की कीमत तय करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें नियोक्ता द्वारा विकल्पों का संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए जरूरी समस्त सूचना प्रदान करनी चाहिए, जिसमें रेखा-चित्र, डिजायन के परिकलन, तकनीकी विनिर्देशन, कीमतों के ब्यौरे, प्रस्तावित संस्थापना की कार्य-प्रणाली और अन्य संबद्ध ब्यौरे शामिल होंगे। नियोक्ता द्वारा तकनीकी आवश्यकताओं के समनुरूप बोलीदाता के केवल निम्नतर मूल्यांकित तकनीकी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

(3) जब बोलीदाताओं को आईटीबी के उप-अनुच्छेद 9.2 के अनुपालन में सुविधाओं के विनिश्चित पुर्जों के लिए वैकल्पिक तकनीकी निदानों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे पुर्जों को तकनीकी विनिर्देशनों में वर्णीत किया जाएगा। आईटीबी के उप-अनुच्छेद 24.2 के अनुपालन में नियोक्ता द्वारा ऐसे तकनीकी विकल्पों को उनके निजी गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा जो कि सुविधाओं के लिए विनिश्चित कार्य-निष्पादन और तकनीकी मानदंड को पूरा करते हैं।

(झ) *संलगनक 8* : विनिर्माता का प्राधिकार देने का प्रपत्र

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(ञ) *संलगनक 9* : कार्य पूरा करने की अनुसूची

कार्य पूरा करने की अनुसूची के लिए बार चार्ट संलग्न करें।

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(ट) *संलगनक 10* : गारंटी की घोषणा

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(ठ) *संलगनक 11* : बोलीदाता की फर्म में नियोक्ता के पूर्व कर्मचारियों से संबंधित सूचना

(ड) *संलगनक 12* : कीमत समायोजन के आंकडे

(ढ) *संलगनक 13* : सामाजिक जबावदेही से संबंधित घोषणा

(ण) *संलगनक 14* : सत्यनिष्ठा का समझौता (हार्ड कॉपी को "*मूल रूप*" में प्रस्तुत करना)

बोलीदाता संलग्न सत्यनिष्ठा के समझौता को पूरा करेगा, जो बोली देने के साथ-साथ संविदा के क्रियान्वयन पर लागू होगा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए जायेंगे और बोलीदाता द्वारा इसके दो (2) मूल रूपों में तकनीकी-वाणिज्यिक भाग के साथ एक पृथक लिफाफे में लौटाया जाएगा, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से "सत्यनिष्ठा का समझौता" लिखा जाएगा। बोलीदाता 100 रूपए के मूल्य एक न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर सत्यनिष्ठा का समझौता प्रस्तुत करेगा।

अपेक्षित सत्यनिष्ठा का समझौता, संलगनक फाईल (एक्सिल फार्मेट में) में संलगनक 14 - सत्यनिष्ठा का समझौता के रूप में स्वत: सृजित हो जाता है। बोलीदाता इसकी दो प्रतियां मुद्रित करेंगे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और संलगनक 14 - सत्यनिष्ठा के समझौते में स्पष्ट किया गया है।

यदि बोलीदाता एक सहभागी फर्म अथवा सह-संघ है, तो सत्यनिष्ठा के समझौते पर सभी सहभागियों अथवा सह-संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

बोलीदाता के विधिवत् हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा के समझौते को मूल रूप में बोली के साथ अथवा बाद में आईटीबी के उप-अनुच्छेद 21.1 के अनुपालन में प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप उसकी बोली को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

(त) *संलगनक 15* : प्रारंभिक अग्रिम के लिए विकल्प (या तो ब्याज वहन करने वाला प्रारंभिक अग्रिम अथवा कोई प्रारंभिक अग्रिम नहीं) और ई-पेमेंट के लिए सूचना और भविष्य निधि के ब्यौरे तथा सूक्ष्म/लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में घोषणा।

चैक (रद्द किए गए) के नमूने की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

इस संलगनकमें बोलीदाता को स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि क्या बोलीदाता उपरोक्त अनुसार अन्य सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त ब्याज वहन करने वाले प्रारंभिक अग्रिम के लिए विकल्प देगा।

(थ) *संलगनक 16 :* अतिरिक्त सूचना *(जैसा लागू होता है, स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा)*

(1) उनके बैंकर (बैंकरों) से प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 16, भाग-6: प्रतिदर्श प्रपत्रों और क्रिया-विधियों में यथा निर्धारित अनुसार), जिसमें विभिन्न निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सीमाओं में बोलीदाता को स्वीकृत की गई निधियों का और अद्यतन स्थिति अनुसार उसका कितना उपयोग किया गया है, उसका उल्लेख किया गया हो। ऐसा प्रमाण-पत्र बोली खोलने की तारीख से पूर्व तीन महीनों से पहले नहीं जारी किया गया हो। जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां नियोक्ता इस संबंध में बोलीदाता के बैंकरों से पूछताछ कर सकता है।

(2) विगत पांच वर्षों में उसके द्वारा पूरी की गई संविदाओं अथवा क्रियान्वयन अधीन संविदाओं से उत्पन्न किसी कानूनी अथवा मध्यस्थता के मामले से संबंधित विस्तृत सूचना। बोलीदाता अथवा संयुक्त उद्यम के किसी सहभागी के खिलाफ कानूनी निर्णय के सुसंगत इतिहास के फलस्वरूप बोली को खारिज कर दिया गया हो।

(3) ऐसी कोई भी अन्य सूचना जिसे बोलीदाता प्रस्तुत करना चाहता है।

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को अपलोड किया जाएगा (जिसका उल्लेख नीचे पैरा 15.4 में किया गया है)।

(द) *संलगनक 17 :* कर से छूट, कटौतियों, भत्तों अथवा लाभ के लिए घोषणा।

(ध) *संलगनक 18* : सुरक्षा का समझौता *(हार्ड कॉपी मूल रूप में प्रस्तुत करना)*

बोलीदाता सुरक्षा के समझौते को पूरा करेगा जो कि बोली देने के साथ-साथ संविदा के क्रियान्वयन के लिए लागू होगा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए जायेंगे और बोलीदाता द्वारा इसके दो (2) मूल रूपों में तकनीकी-वाणिज्यिक भाग के साथ एक पृथक लिफाफे में लौटाया जाएगा, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से "सुरक्षा का समझौता" लिखा जाएगा। बोलीदाता 100 रूपए मूल्य के एक न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर सुरक्षा का समझौता प्रस्तुत करेगा।

बोलीदाता इसकी दो प्रतियां मुद्रित करेंगे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और संलगनक 16 - सुरक्षा के समझौते में स्पष्ट किया गया है।

यदि बोलीदाता एक सहभागी फर्म अथवा सह-संघ है, तो सत्यनिष्ठा के समझौते पर सभी सहभागियों अथवा सह-संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

बोलीदाता के विधिवत् हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा के समझौते को मूल रूप में बोली के साथ अथवा बाद में आईटीबी के उप-अनुच्छेद 21.1 के अनुपालन में प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप उसकी बोली को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

(न) *संलगनक 19* : घोषणा।

10. बोली का प्रपत्र और कीमत संबंधी अनुसूचियां

10.1 बोलीदाता बोली के प्रपत्र (प्रपत्रों) को पूरा करेंगे और आईटीबी के अनुच्छेद 11 और 12 में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोली के दस्तावेजों में जैसा निर्दिष्ट किया गया है, उचित कीमत अनुसूचियां प्रस्तुत करेंगे।

11. बोली की कीमतें

11.1 जब तक तकनीकी विनिर्देशनों में अन्यथा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, तब तक बोलीदाता "एकल उत्तरदायित्व" के इस आधार पर समग्र सुविधाओं के लिए कीमतें उधृत करेंगे कि समग्र बोली कीमत में उल्लिखित संविदाकार के समस्त दायित्व शामिल हैं अथवा अधिप्राप्ति और उप-संविदा करने (यदि कोई है) सहित सुविधाओं के डिजायन, विनिर्माण, प्रदानगी,

निर्माण, संस्थापना और सुविधाओं को पूरा करने, जिसमें अनिवार्य कलपुर्जो (यदि कोई है) की आपूर्ति करना भी शामिल है, के संबंध में कीमतों का अनुमान, बोली के दस्तावेजों से उचित रूप से लगाया गया है। इसमें सुविधाओं को चालू करने से पूर्व उसका परीक्षण करने और चालू करने के लिए संविदाकार के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत सभी आवश्यकताएं शामिल हैं। बोली के दस्तावेजों में यथा विनिश्चित प्रचालन, अनुरक्षण और प्रशिक्षण सेवाओं तथा अन्य मदों और सेवाओं के लिए बोली के दस्तावेजों में जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, सभी परमिटों, अनुमोदनों और लाईसेंसों आदि को प्राप्त किया जाएगा। ऐसे समस्त दस्तावेज संविदा की सामान्य शर्तों की आवश्यकताओं के अनुसार होंगे। ऐसी मदों जिनके लिए बोलीदाता द्वारा कोई कीमत निर्दिष्ट नहीं की गई है, उनको निष्पादित किए जाने पर नियोक्ता द्वारा उनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उनको अन्य मदों के लिए निर्दिष्ट कीमतों में शामिल कर लिया गया है।

11.2 बोलीदाताओं को बोली के दस्तावेजों में उल्लिखित वाणिज्यिक, संविदात्मक और तकनीकी दायित्वों के लिए कीमत उधृत करनी होगी। यदि बोलीदाता विचलन करना चाहता है, तो ऐसे विचलन को उसकी बोली के संलगनक 6 में सूचीबद्ध किया जाएगा। बोलीदाता को ऐसे विचलनों को वापस लेने की लागत का भुगतान करने का प्रावधान करना होगा।

11.3 बोलीदाता कीमत अनुसूचियों में उल्लिखित तरीके से कीमतों के ब्यौरे देंगे और मांगे गए विवरण प्रस्तुत करेंगे । जहां बोली के दस्तावेजों में किसी भी कीमत अनुसूची को शामिल नहीं किया गया है, वहां बोलीदाता निम्नलिखित तरीके से अपनी कीमतें प्रस्तुत करेंगे।

निम्नलिखित प्रत्येक घटक के लिए पृथक संख्या की अनुसूची को प्रयुक्त किया जाएगा। प्रत्येक अनुसूची 1 से 5 तक में उल्लिखित कुल राशि के संक्षिप्त विवरण को कीमत प्रस्ताव (अनुसूची 6) के बृहत् सारांश में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बोली के प्रपत्र में कुल बोली कीमत (कीमतों) का ब्यौरा निहित होगा:-

अनुसूची - 1	आपूर्ति किए जाने वाले संयंत्र और उपस्कर (अनिवार्य कलपुर्जों सहित) - टाईप टेस्ट प्रभार सहित
अनुसूची - 2	स्थानीय परिवहन, बीमा और अन्य आकस्मिक सेवाएं जो कि संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति करने पर लागू होती हैं।
अनुसूची - 3	संस्थापना सेवाएं
अनुसूची - 4	दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए प्रभार

अनुसूची - 5	अनुसूची 1 से 4 तक में शामिल नहीं किए गए कर और शुल्क
अनुसूची - 6	बृहत् संक्षिप्त विवरण (अनुसूची संख्या 1 से 5 तक)
अनुसूची - 7	टाईप टेस्ट प्रभारों का ब्यौरा

बोलीदाता नोट करेंगे कि अनुसूची संख्या 1 में शामिल किए गए संयंत्र और उपस्कर में सिविल, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को बाहर रखा गया है। ऐसी समस्त सामग्री को अनुसूची संख्या 3 – संस्थापना सेवाओं में शामिल किया जाएगा और उनकी कीमत तय की जाएगी।

11.3.1 ऐसी मदों के लिए जिनकी मात्राओं का अनुमान नियोक्ता द्वारा लगाया गया है, उनकी बोली की कीमत बोलीदाता द्वारा उधृत यूनिट कीमत के आधार पर संचालित होगी। संबंधित कीमत अनुसूचियों में निर्दिष्ट मात्राओं से अधिक मात्रा होने के मामले में निर्माण कार्य विस्तार को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बोलीदाता इन मदों की अतिरिक्त मात्राओं को निष्पादित करेगा जिसके लिए नियोक्ता द्वारा बोलीदाता को उसकी उधृत यूनिट कीमत के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

11.3.2 ऐसी बोली की कीमत जिसके लिए मात्राओं का अनुमान बोलीदाता द्वारा लगाया जाना है, तब तक निरंतर बनी रहेगी, जब तक कि नियोक्ता द्वारा कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। मात्राएं और यूनिट कीमतें (1) जो कि बिल की मात्राओं (बीओक्यू)/एक मुश्त मात्राओं/लॉट/सेट के बिल के ब्यौरों का अनुमोदन करते समय बाद में आक्कलित की जाती हैं और/अथवा (2) बोलीदाता द्वारा अनुमानित की जाती है, उनके बिल के ब्यौरों को केवल अकाउंट भुगतान के प्रयोजनार्थ माना जाएगा। यदि बिल की मात्राए (बीओक्यू)/एक मुश्त मात्राओं/लॉट/सेट के बिल के ब्यौरों और/अथवा (2) बोलीदाता द्वारा अनुमानित बिल के ब्यौरों से अधिक होते हैं, तो तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार कार्य विस्तार को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा। बोलीदाता इन मदों की अतिरिक्त मात्राओं को निष्पादित करेगा और इनके लिए एक मुश्त बोली की कीमत से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि स्थल पर आपूर्ति की गई इन मदों की मात्राएं कार्य-विस्तार को पूरा करने के लिए जरूरी मात्राओं से अधिक होती है, तो मदों की ऐसी अतिरिक्त मात्राएं बोलीदाताओं की सम्पति होगी और उन्हें कार्य स्थल से वापिस ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एक मुश्त बोली कीमत में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कार्य-विस्तार को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मदों की वास्तविक मात्राएं अनुमादित बीओक्यू/बिल के ब्यौरों और/अथवा बोलीदाता की

अनुमानित मात्रा में अभिज्ञात की गई मात्राओं से कम रहती है, तो एक मुश्त बोली कीमत अपरिवर्तनीय रहेगी और मात्राओं की ऐसी कमी के कारण एक मुश्त कीमत में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

11.3.3 बोलीदाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसी बेशी सामग्री के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सभी सांविधिक करों, शुल्कों और प्रभारों का भुगतान करेगा, जिसके लिए उसे अन्यथा कानूनी तौर पर भुगतान करना पडता। नियोक्ता को कोई क्षति नहीं हो इसके लिए नियोक्ता द्वारा बोलीदाता को ऐसी सामग्री वापस करने से पूर्व बोलीदाता एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करेग।

11.3.4 सेट/लॉट/एक मुश्त सामग्री का संचालन, तकनीकी विनिर्देशनों के संबद्ध प्रावधानों के संयोजन में पठित समान मद के विवरण की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

11.4 बोलीदाता अनुसूचियों में अपनी कीमतों के अपेक्षित ब्यौरे और विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो कि निम्नानुसार होंगे:-

(क) अनिवार्य कलपुर्जों सहित संयंत्र और उपस्कर ईएक्सडब्ल्यू (कारखाना-गत, गोदाम-गत अथवा ऑफ-दि-सेल्फ, जैसा भी लागू होता है) के आधार पर उधृत किए जायेंगे और टाईप टेस्ट प्रभार (एक भारतीय बोलीदाता के मामले में विदेश में किए जाने वाले टाईप टेस्ट सहित) भी उधृत किए जायेंगे।

नियोक्ता और संविदाकार के बीच सीधा लेन-देन होने के संबंध में ईएक्सडब्ल्यू कीमत में सभी लागतों के साथ-साथ संयंत्र और उपस्कर में शामिल की गई अथवा शामिल की जाने वाली उनकी खपत के लिए प्रयुक्त संघटकों, कच्ची सामग्री और कोई अन्य मदों के लिए अदा किए गए अथवा देय शुल्क और कर (नामत: सीमा-शुल्क और प्रभार, शुल्क, बिक्री कर/वॉट आदि) समाविष्ट होंगे।

सीधे लेन-देन के अंतर्गत उपस्कर/मदों के लिए बिक्री कर/वॉट, उत्पाद शुल्क, स्थानीय करों को, जिनमें गंतव्य स्थल/राज्य में लागू होने वाली चुंगी/प्रवेश शुल्क भी शामिल हैं, ईएक्सडब्ल्यू कीमत में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुसूची 5 के संबंधित कॉलमों में जहां कहीं भी लागू होता है, उन्हें निर्दिष्ट किया जाएगा।

जब कभी भी उत्पाद शुल्क और/अथवा वॉट रहित ईएक्सडब्ल्यू कीमत उधृत की जाती है, तो जहां कहीं भी लागू होता है, वहां बोलीदाता द्वारा बोली की कीमत उधृत करत समय संबद्ध सरकार की नीतियों के अनुसार सेनवाट (केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर)/वॉट योजना के अंतर्गत उचित आकलन किया जाएगा।

खरीदी गई तैयार मदों के संबंध में जो कि उप-विक्रेता के स्थल से सीधे नियोक्ता के स्थल पर सीधे भेजी जाएगी (सेल-इन-ट्रांजिट), ईएक्सडब्ल्यू कीमत में समस्त लागतों के साथ-साथ अदा किए गए अथवा देय शुल्क और कर (नामत: सीमा-शुल्क और प्रभार, शुल्क, बिक्री कर/वॉट आदि) समाविष्ट होंगे। बोलीदाता द्वारा उत्पाद शुल्क और/अथवा वॉट सहित ईएक्सडब्ल्यू कीमत उधृत करते समय जहां कहीं भी लागू होता है, वहां बोलीदाता द्वारा संबद्ध सरकार की नीतियों के अनुसार सेनवाट (केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर)/वॉट योजना के अंतर्गत उचित आकलन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बोलीदाताओं द्वारा पेश किए जा रहे (1) आयातित उपस्कर/"ऑफ दि सेल्फ" अथवा अवरोहन के भारतीय पत्तन से सीधे प्रेषित मदों और/अथवा (2) खरीदे गए तैयार उपस्करों/"ऑफ दि सेल्फ" मदों अथवा बोलीदाता के कार्य-स्थलों से सीधे प्रेषित की गई मदों/उपस्करों की कीमत में अदा किए गए अथवा देय शुल्क और कर (नामत: सीमा-शुल्क और प्रभार, शुल्क, बिक्री कर/वॉट आदि) समाविष्ट होंगे।

बोलीदाता "ऑफ दि सेल्फ" मदों के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले आयातित तैयार उपस्करों अथवा अवरोहन के भारतीय पत्तन से सीधे प्रेषित मदों के मामले में छूटों, कटौतियों, भत्तों अथवा लाभ की उपलब्धता का पता लगाना चाहेंगे। ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे और किसी भी कारणवश यदि वे ऐसे लाभ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे मामले में नियोक्ता बोलीदाता को प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। बोलीदाता अपनी बोली के साथ बोली के दस्तावेजों में संलग्न प्रपत्र के अनुसार संलगनक 17 में इस आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

बोलीदाता द्वारा "ऑफ दि सेल्फ" मदों के रूप में आपूर्ति की जाने वाली आयातित तैयार मदों के लिए यदि ऐसी छूटों, कटौतियों, भत्तों अथवा लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए जाने की अनुमति दी जाती है और लागू भारत सरकार की संबद्ध नीतियों, नियमों और क्रिया-विधियों के अनुसार नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने की आवश्यकता होती है, तो नियोक्ता द्वारा उसे जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि बोलीदाता स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करें कि उन्होंने सीमा-शुल्क की रिआयती दर को ध्यान में रखने के बाद अपनी बोली में कीमत उधृत की है। तथापि, सरकार की नीतियों/क्रियाविधियों के अंतर्गत स्वीकार्य किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए अकेला बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा और किसी भी कारणवश यदि वे ऐसे आंशिक रूप से अथवा पूरे लाभ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे मामले में नियोक्ता, न तो जिम्मेदार होगा और न ही वह संविदाकार को ऐसी प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त इस संबंध में नियोक्ता की कोई वित्तीय देयता भी नहीं होगी।

यदि बोलीदाता ने ऐसे लाभों को ध्यान में रख कर कीमत उधृत की है, तो उसे भारत सरकार की संबद्ध अधिसूचनाओं के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संलगनक

17 में अपनी बोली के साथ अपेक्षित समस्त सूचना देनी चाहिए। यदि बोलीदाता ने ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं की है अथवा यह उल्लिखित किया है कि संल्गनक 17 में "ऐसी सूचना बाद में प्रस्तुत की जाएगी", तो उससे यह माना जाएगा कि बोलीदाता द्वारा नियोक्ता को कोई लाभ नहीं दिया गया है और नियोक्ता संविदाकार को ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा भले ही ऐसे लाभ स्वीकार्य हों।

तथापि, ईएक्सडब्ल्यू कीमत में गंतव्य स्थल/राज्य के लिए लागू चुंगी/प्रवेश कर को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे अनुसूची 5 के संबंधित कॉलम में निर्दिष्ट किया जाएगा।

भारत के भीतर किसी भी स्थल से आपूर्ति किए जाने वाले सभी उपस्करों/मदों के लिए आवश्यक बिक्री कर घोषणा के प्रपत्र नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगे।

(ख) आपूति किए जाने वाले अनिवार्य कल-पुर्जों सहित संयंत्र/उपस्कर की प्रदानगी के लिए स्थानीय परिवहन, बीमा और अन्य आकस्मिक सेवाएं अनुसूची 2 में पृथक रूप से उधृत की जायेंगी।

(ग) संस्थापना प्रभार अनुसूची 2 में पृथक रूप से उधृत किए जायेंगे और इनमें सभी संस्थापना सेवाओं का उचित निष्पादन करने के लिए यथावययक बोली के दस्तावेजों में जहां कहीं भी अभिज्ञात किया गया है, वहां समस्त श्रम, संविदाकार के उपस्कर, अस्थाई कार्य, सामग्री, प्रयोज्य तथा किसी भी प्रकृति के सभी मामलों और चीजों, प्रचालनों की व्यवस्था और अनुरक्षण मैन्युल आदि के लिए दरें और कीमतें शामिल होंगी, लेकिन इनमें ऐसी कीमतें/दरें शामिल नहीं होंगी जिन्हें अन्य अनुसूचियों में निर्दिष्ट किया गया है।

(घ) प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रभारों के ब्यौरों को पृथक रूप से अनुसूची 4 में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार टाईप टेस्ट प्रभारों के ब्यौरों को भी पृथक रूप से अनुसूची 7 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) बोलीदाता निर्माण कार्य संविदा पर बिक्री कर/वॉट में, निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के लिए कारोबार कर अथवा बिक्री कर/वॉट अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार के समान कर, जैसा भी उनकी उधृत बोली कीमत पर लागू होता है, शामिल करेगा और नियोक्ता इस कारणवश होने वाली किसी भी देयता का वहन नहीं करेगा। तथापि, स्वामी की ओर से नियोक्ता, नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसे करों की कटौती करेगा और बोलीदाता को स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(च) बोलीदाता अपनी उधृत कीमत में लागू होने वाले सेवा कर और प्रभार/उप कर आदि को शामिल करेगा और नियोक्ता इस कारणवश होने वाली किसी भी देयता का वहन नहीं

करेगा। तथापि, नियोक्ता (अथवा स्वामी की ओर से नियोक्ता) नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसे करों की कटौती करेगा और संविदाकार को को स्रोत पर काटे गए कर के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(छ) बोलीदाता भाग – 4: संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी) और परिशिष्ठ 3: संविदा के करार के प्रपत्र में बीमा की आवश्यकताएं, जैसा कि भाग 6: बोली के दस्तावेजों के प्रतिदर्श प्रपत्र और क्रिया-विधियां (एफओआरएमएस) में यथा निहित अपनी उधृत कीमत में बीमा प्रभारों को शामिल करेगा। इसके अतिरिक्त बोलीदाता यह भी नोट करेगा कि नियोक्ता, संविदाकार के संयंत्र और मशीनरी के बीमा के लिए संविदाकार को किसी भी बीमा राशि का भुगतान/प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ज) बोलीदाता, अनुसूची 1 से 7 के कार्य पत्रों में तथा छूट, प्रवेश कर, अन्य कर और शुल्क के केवल चिन्हित (जिन्हें हरे रंग में दिखाया गया है) खानों को भरेगा। बोलीदाता किसी भी अन्य खाने में कोई आशोधन अथवा परिवर्तन नहीं करेगा। अनुसूची 6 (बृहत् संक्षिप्त विवरण), अनुसूची 6 (छूट पश्चात) (छूट पश्चात बृहत् संक्षिप्त विवरण)) से संबंधित कार्य पत्रों और बोली के प्रपत्र में अपेक्षित परिकलन स्वत: हो जाएगा।

(झ) छूट देने के तरीके से कीमत अनुसूचियों में पहले से भरी गई कीमतों में कटौतियां करने के लिए बोलीदाताओं को समर्थ बनाने के लिए कीमत अनुसूचियों के भाग के रूप में "छूट का पत्र" शीर्षक कार्य पत्र को शामिल किया गया है। बोलीदाता या तो एक मुश्त आधार पर अथवा प्रतिशत के आधार पर छूट को भर कर कटौतियां कर सकता है, जो कि या तो कुल कीमत अथवा एक अथवा अधिक कीमत अनुसूची पर लागू की जा सकती है।

बोलीदाता यह नोट कर सकता है कि यदि वह अनुसूची संख्या 1 से 4 के अनुसार "छूट का पत्र" शीर्षक कार्य पत्र में बहुविध छूट देने की पेशकश करना चाहता है, तो संबंधित मदों की आधार कीमतों पर सभी छूट एक साथ लागू होंगी, जिन पर बोलीदाता ने छूट (छूटों) की पेशकश की है, अर्थात् ऐसी मदों (जैसा कि बोलीदाता द्वारा बिना किसी छूट के उधृत किया है) की उधृत कीमतों पर सभी छूटों पर एक साथ विचार किया जाएगा। तदनुसार, घटी हुई कीमतों को अनुसूची 6 (छूट पश्चात) के कार्य पत्र में दर्शाया जाएगा।

11.5 कीमतें निम्नोक्त अनुसार होंगी:

समायोज्य कीमत : बोलीदाता द्वारा उधृत कीमतें संविदा के निष्पादन के दौरान समायोज्य के अध्यधीन होंगी ताकि संविदा करार के प्रपत्र के समान परिशिष्ठ-2 में विनिश्चिति क्रिया-विधियों के अनुसार श्रम और सामग्री आदि जैसे लागत के घटकों में परिवर्तन प्रतिबिंबित हो सके। नियत कीमत के उद्धरण के साथ प्रस्तुत की गई बोली को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन कीमत समायोजन शून्य माना जाएगा। बोली के मूल्यांकन में कीमत समायोजन के प्रावधान पर विचार

नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संलगनक 12 में श्रम और सामग्री सूचकों के स्रोत को निर्दिष्ट करें।

12. बोली की मुद्रा

12.1 कीमतें केवल भारतीय रूपयों में उधृत की जाएंगी।

13. बोली की प्रतिभूति

13.1 बोलीदाता नीचे उल्लिखित व्यवस्था को छोड करे अपनी बोली के भाग के रूप में बीडीएस में यथा निर्धारित राशि और मुद्रा में बोली की प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। बोली की प्रतिभूति बोली के दस्तावेजों में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अथवा एमएसई के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के अंतर्गत भारत सरकार के किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) को सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के प्रावधानों के अनुसार बोली की प्रतिभूति प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है। ऐसा उपरोक्त प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

13.2 यह बोलीदाता का विकल्प है कि वह बोली की प्रतिभूति, बीडीएस में यथा निर्धारित नियोक्ता के पक्ष में क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर से अधिप्रमाणित चैक में दे अथवा बोलीदाता द्वारा चयनित प्रतिष्ठित बैंक से प्राप्त बैंक गारंटी के साथ दे। बैंक गारंटी का प्रपत्र, बोली के दस्तावेजों में शामिल बोली की प्रतिभूति के प्रपत्र के अनुसार होगा। बोली की प्रतिभूति, मूल बोली की वैधता अवधि से आगे तीस (30) दिनों तक और आईटीबी के उप-अनच्छेद 14.2 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने पर बाद में बढाई गई किसी भी अवधि तक वैध होगी।

13.3 उपरोक्त अनुच्छेद 13.1 में छूट प्राप्त मामले को छोड कर, स्वीकार्य बोली की प्रतिभूति के साथ प्रस्तुत नहीं की गई किसी भी बोली को नियोक्ता द्वारा आईटीबी के उप-अनुच्छेद 22.4 के अनुसार अनुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम की बोली की प्रतिभूति, बोली प्रस्तुत करने वाले संयुक्त उद्यमों के सभी सहभागियों के नाम पर होनी चाहिए।

13.4 असफल बोलीदाता की बोली की प्रतिभूतियों को यथासंभव तुरत लौटा दिया जाएगा, लेकिन बोली की वैधता अवधि के समाप्त होने के अठाईस (28) दिनों के बाद नहीं।

13.5 सफल बोलीदाता को अपनी बोली की प्रतिभूति की वैधता पर्याप्त समय तक अर्थात आईटीबी के अनुच्छेद 35 के अनुसार नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कार्य-निष्पादन की प्रतिभूति (प्रतिभूतियों) प्रस्तुत किए जाने तक बनाए रखना अपेक्षित है। आईटीबी के अनुच्छेद 34 के

अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा संविदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने पर तथा आईटीबी के अनुच्छेद 35 के अनुसार अपेक्षित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने पर उसकी बोली की प्रतिभूति को उसे लौटा दिया जाएगा।

13.6 बोली की प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा -

(क) यदि बोलीदाता, बोली के प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा विनिश्चित बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली को वापस ले लेता है; अथवा

(ख) यदि बोलीदाता अपने द्वारा प्रस्तावित किसी भी विचलन को उसकी बोली में उल्लिखित लागत के साथ वापस नहीं लेता है और/अथवा संलगनक – बोली के घोषणा पत्र में उसके द्वारा की गई घोषणा/संपुष्टि के अनुसार उसे वापस लेना/उसमें संशोधन करना स्वीकार नहीं करता है; अथवा

(ग) यदि बोलीदाता आईटीबी के उप-अनुच्छेद 27.2 के अनुसार उसकी बोली के प्रारंभिक मूल्यांकन में पाई गई गणितकीय त्रुटियों का आशोधित करना स्वीकार नहीं करता है; अथवा

(घ) यदि अर्हता की आवश्यकताओं के अनुसार बोलीदाता को संयुक्त उद्यम के विलेख को प्रस्तुत करना अपेक्षित है और वह संबंधित निष्पादक (निष्पादकों) के स्थान (स्थानों) के नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् सत्यापित अथवा उक्त देश में भारतीय दूतावास/उच्च आयुक्त द्वारा पंजीकृत ऐसे विलेख को बोली-पश्चात परिचर्चा की सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं कर पाता है; अथवा

(ङ) सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता विनिश्चित समय-सीमा के भीतर निम्नोक्त करने में विफल रहता है-

(1) आईटीबी के अनुच्छेद 34 के अनुसार संविदा करार पर हस्ताक्षर करना अथवा

(2) आईटीबी के अनुच्छेद 35 के अनुसार अपेक्षित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (प्रतिभूतियां) प्रस्तुत करना और/अथवा आईटीबी के उप-अनुच्छेद 13.5 में उल्लिखित अपेक्षा के अनुसार बोली की प्रतिभूति का वैध होना।

13.7 नियोक्ता द्वारा उपरोक्त बोली की प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

14. बोली की वैधता की अवधि

14.1 आईटीबी के उप-अनुच्छेद 20.1 के अनुसार नियोक्ता द्वारा निर्धारित तकनीकी - वाणिज्यिक भाग नामत: पहले लिफाफे को खोलने की तारीख के बाद छ: महीनों के अवधि के लिए बोलियां वैध रहेंगी।

14.2 विशिष्ट परिस्थितियों में नियोक्ता बोली की वैधता अवधि को बढाने के लिए बोलीदाता की सहमति प्राप्त कर सकता है। इसका अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में अथवा केबिल द्वारा किया/दिया जाएगा। यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि को बढाना चाहता है, तो बोली की

प्रतिभूति की अवधि को भी उपयुक्त रूप से बढाया जाएगा। बोलीदाता की प्रतिभूति को जब्त किए बिना वह ऐसा अनुरोध करने से मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध स्वीकार करने वाले बोलीदाता को अपनी बोली में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी अथवा उसकी अनुमति नहीं होगी।

15. बोली का प्रपत्र और उस पर हस्ताक्षर करना

15.1 बोलीदाता आईटीबी के अनुच्छेद 9.0 में उल्लिखित तरीके से बोली तैयार करेगा और बोली को निम्नोक्त तरीके से प्रस्तुत करेगा:-

<u>पहला लिफाफा</u>

(1) पोर्टल पर यथा उपलब्ध पहले लिफाफे (तकनीकी-वाणिज्यिक) के लिए बोली के इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र/टेम्पलेट को विधिवत् भरा जाएगा।

पहले लिफाफे की बोलियों को खोलने के बाद सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा इन इलेक्ट्रोनिक प्रपत्रों/टेम्पलेटों को देखा जा सकेगा।

(2) बोली की सॉफ्ट कॉपी जिसमें संबद्ध स्कैन्ड दस्तावेजों (जो कि आईटीबी के अनुच्छेद 15.4 में उल्लिखित) सहित आईटीबी के अनुच्छेद 9.0 में सूचीबद्ध दस्तावेज शामिल होंगे, उनको केवल पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा किसी भी अन्य साधन से किसी भी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) <u>निम्नोक्त की हार्ड कॉपी</u>

(क) बोली के दस्तावेज के लिए आईटीबी के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार यथा विनिश्चित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा आईटीबी के अनुच्छेद 5.5 के अनुसार बोली देने के दस्तावेज में शुल्क की छूट का साक्ष्य।

(ख) एक पृथक लिफाफे में बोली की प्रतिभूति (मूल रूप में) अथवा भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 13 के अनुसार बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

(ग) एक पृथक लिफाफे में भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 9.3 (ओ) के अनुसार सत्यनिष्ठा का समझौता (मूल्य रूप में)।

(घ) भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 9.3 (ख) के अनुसार पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्तारनामा)।

(ङ) संयुक्त उद्यम की बोली के मामले में संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार की पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्तारनामा)।

(च) एक पृथक लिफाफे में भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 9.3 (एस) के अनुसार सुरक्षा समझौता (मूल्य रूप में)।

(छ) बीडीएस में विनिश्चित कोई अन्य दस्तावेज जो विधिवत् हस्ताक्षरित हो और जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगी हुई हो।

(4) पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बॉक्स (ईकेबी) द्वारा पहले लिफाफे के लिए पासफ्रेज।

<u>दूसरा लिफाफा</u>

(1) दूसरे लिफाफे (कीमत-भाग) के लिए बोली के इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र/टेम्पलेट जिसमें कीमत ब्यौरों के संक्षिप्त विवरण निहित होंगे।

(2) पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बॉक्स (ईकेबी) द्वारा दूसरे लिफाफे के लिए पासफ्रेज।

दूसरे लिफाफे की बोलियों को खोलने के बाद सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा इन इलेक्ट्रोनिक प्रपत्रों/टेम्पलेटों को देखा जा सकेगा। बोलीदाता यह नोट कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा उधृत कीमतों के बावजूद नियोक्ता के पास मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ कीमतों को आशोधित करने और बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार संविदा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आईटीबी के अनुच्छेद 11 के अनुसार कीमत अनुसूचियों की सॉफ्ट कॉपी। किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा किसी भी अन्य साधन से किसी भी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.2 बोली में तब तक कोई संशोधन, त्रुटि अथवा संवर्धन निहित नहीं होगा जब तक कि बोली को हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा पहले ऐसे आशोधन नहीं किए जाते हैं।

15.3 बोलीदाता बोली के प्रपत्र के अंतिम पैराग्राफ में यथा वर्णीत इस बोली और संविदा का निष्पादन करने से संबंधित एजेंट को और यदि बोलीदाता को संविदा प्रदान कर दी जाती है, तो संविदा के निष्पादन के लिए अदा किए गए अथवा देय कमीशन अथवा ग्रेच्युटी, यदि कोई है, के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा।

15.4 नीचे तालिका में दर्शाई गई निम्नोक्त दस्तावेजों की सूची को स्कैन किया जाएगा और उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा:-

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली फाईल का नाम
1.	पॉवर ऑफ अटार्नी	poa.pdf
2.	बोली के दस्तावेज के शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट	dd.pdf
3.	कानूनी स्थिति का संविधान	legal.pdf
4.	कानूनी ढांचे/स्वामित्व में प्रत्याशिक परिवर्तन करने की घोषणा	deed.legal.pdf
5.	व्यवसाय करने का प्रमुख स्थान	principal.pdf
6.	निगमन का स्थान अथवा पंजीकरण का स्थान और स्वामी की राष्ट्रीयता	incorporation.pdf
7.	प्रयोज्यता द्वारा जारी तकनीकी अनुभव का प्रमाणपत्र	techexp.pdf
8.	वित्तीय तुलन पत्र (विगत पांच वर्षों के लिए)	balsheet.pdf
9.	वित्तीय पुनर्निर्माण के संबंध में घोषणा पत्र	Decl_Fin_re_struc.pdf
10.	तकनीकी जीटीपी	gtp.pdf
11.	टाईप टेस्ट रिपोर्ट	ttreport.pdf
12.	बैंक प्रमाणपत्र	bank.pdf
13.	विनिर्माता प्राधिकार	manuauth.pdf
14.	कार्य अनुसूची (बार चार्ट)	barchart.pdf
15.	गारंटी का घोषणा पत्र	guarantee.pdf
16.	मूल कीमत सूचकों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य	pvindex.pdf
17.	रद्द किया गया चैक	cheque.pdf
18.	अन्य दस्तावेज	other.pdf

1. वोल्यूम-3, संलगनक - एक्सएलएस के संलगनक-क्यूआर पत्र के संबद्ध भाग पर दिए गए "अटेच" बटन की सहायता से विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है।

2. बोलीदाता उनकी पहचान के लिए (उदाहरणत:- poa_xyz.pdf) एक अंडर स्कोर से पूर्व प्रत्येक फाईल के लिए तीन (03) अक्षर अंतसर्ग कर सकता है।
3. यदि एक समान शीर्ष के अंतर्गत अधिक फाईलें अपलोड की जानी हैं, तो बोलीदाता संख्यात्मक अंतसर्ग कर सकता है (उदाहरणत:- post_xyz.pdf, poa2_xyz.pdf और poa3_xyz.pdf)।
4. किसी अन्य दस्तावेज को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उपसर्ग के साथ फाईल का नाम तय कर सकता है, जिसके लिए उसे other के बाद अंडर स्कोर लगाना होगा और संक्षेप में दस्तावेज के नाम का अंतसर्ग करना होगा (उदाहरणत:-other_JSOcertifkcate1_xyz.pdf और other_JSOcertificate2_xyz.pdf…)।
5. पोर्टल पर समर्थित अन्य किस्मों की फाईलों के लिए कृपया पोर्टल पर संबंधित प्रावधानों को देखें।

15. बोलियों की हार्ड कॉपी का प्रस्तुतीकरण

16. बोलियों की मुहरबन्दी और चिन्हित करना

16.1 बोलीदातमा पोर्टल के प्रावधानों के अनुसार बोली के सॉफ्ट कॉपी के भाग को अपलोड करेगा (कृपया उपरोक्त पैरा 15.1 और 15.4 को देखें) और बोली के दस्तावेज के लिए डिमांड ड्राफ्ट की हार्ड कापी अथवा दस्तावेज के शुल्क की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (जैसा लागू होता है) अथवा बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (जैसा लागू होता है), सत्यनिष्ठा का समझौता, सुरक्षा समझौता, पॉवर ऑफ अटोर्नी, संयुक्त उद्यम करार (जैसा लागू होता है) और संयुक्त उद्यम करार की पॉवर ऑफ अटोर्नी (जैसा लागू होता है) और उपक्रम का संयुक्त विलेख (जैसा लागू होता है), (कृपया उपरोक्त पैरा 15.1 देखें) को एक लिफाफे में निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करेगा जिस पर विधिवत् पहला लिफाफा (तकनीकी-वाणिज्यिक भाग) चिन्हित होगा।

लिफाफा - 1: बोली देने के दस्तावेज का शुल्क/बोली देने के दस्तावेज के शुल्क की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

लिफाफा - 2: बोली की प्रतिभूति/बोली की प्रतिभूति की छूट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

लिफाफा - 3: सत्यनिष्ठा का समझौता।

लिफाफा - 4: पॉवर ऑफ अटोर्नी, संयुक्त उद्यम करार (जैसा लागू होता है) और संयुक्त उद्यम करार की पॉवर ऑफ अटोर्नी (जैसा लागू होता है) और उपक्रम का संयुक्त विलेख (जैसा लागू होता है) और ऐसा कोई अन्य दस्तावेज जो कि आवश्यक हो (कृपया उपरोक्त पैरा 15.1 देखें)।

लिफाफा - 5: सुरक्षा समझौता

बोलीदाता अपेक्षित खानों में विधिवत् भरी गई बोली के भाग के रूप में पोर्टल से डाउनलोड की गई कीमत अनुसूची और संलगनकों की एक्सिल फाईल अपलोड करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई फाईल को बोली देने के दस्तावेज के भाग के रूप में पोर्टल से डाउनलोड की गई

फाईल से भिन्न पाया जाता है अथवा लॉक की गई सामग्री को विकृत/संशोधित पाया जाता है, तो बोलीदाता को उसकी बोली को अस्वीकार किए जाने का जोखिम उठाना पडेगा।

16.2 लिफाफे को –

(क) नियोक्ता के **बीडीएस** में दिए गए पते पर भेजा जाएगा और

(ख) उस पर **बीडीएस** में निर्दिष्ट संविदा का नाम, बोलियों के शीर्ष के लिए आमंत्रण और **बीडीएस** में निर्दिष्ट संख्या अंकित होगी तथा आईटीबी के उप-अनुच्छेद 20.1 के अनुसार यह वाक्यांश अंकित होगा कि "इसे (तारीख) से पहले नहीं खोले", जिसे **बीडीएस** में विनिश्चित समय और तारीख लिख कर पूरा किया जाएगा।

16.3 बोली के दस्तावेज के लिए डिमांड ड्राफ्ट, बोली की प्रतिभूतियों, सत्यनिष्ठ समझौते और सुरक्षा समझौते को मूल रूप में पृथक लिफाफों (अर्थात एक लिफाफा बोली के दस्तावेज के लिए डिमांड ड्राफ्ट और एक लिफाफा सत्यनिष्ठा समझौते और एक लिफाफा सुरक्षा समझौते के लिए होगा) में प्रस्तुत किया जाएगा। इन लिफाफों के ऊपर यथा निर्धारित शीर्ष अंकित होगा, जो कि पहले लिफाफे के साथ होंगे।

बोलीदाता ऐसी किसी भी अन्य दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, जो वे पहले लिफाफे से संबद्ध समझते हैं।

सभी लिफफों में बोलीदाता का नाम और पता भी लिखा होगा ताकि बोली को "*विलंबित*" घोषित किए जाने पर उन्हें खोले बिना बोलीदाता को वापस लौटाया जा सके।

यदि वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के परिपत्र के अनुसरण में भारत में स्थित बैंकों द्वारा एसएफएमएस प्लेटफार्म का उपयोग करके बैंक गारंटी जारी की जाती है, तो बोलीदाता द्वारा पहले लिफाफे के साथ ऐसी बैंक गारंटी की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाएगी।

16.4 यदि लिफाफे को मुहरबंद नहीं किया जाता है और उपरोक्त आईटीबी, भाग-2 के उप-अनुच्छेद 16.2 में उल्लिखित अनुसार चिन्हित नहीं किया जाता है, तो बोली के गुम होने अथवा उसे निर्धारित समय पूर्व खोले जाने के लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

17. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

17.1 बोली के सॉफ्ट कॉपी पार्ट को पोर्टल https://www.tel-india-electronictender.com के माध्यम से तथा बोली के दस्तावेज में निर्धारित समय और तारीख को बोली को प्रस्तुत किए जाने से पहले अपलोड किया जाएगा। बोली के दस्तावेज के शुल्कों की हार्ड कॉपी, आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित अनुसार बोली की प्रतिभूति को पृथक लिफाफे में, सत्यनिष्ठा समझौते, सुरक्षा समझौते, पॉवर ऑफ अटोर्नी, संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार की पॉवर ऑफ अटोर्नी (यदि बोली संयुक्त उद्यम

द्वारा प्रस्तुत की जाती है) के दस्तावेज नियोक्ता को आईटीबी, भाग-2 के उप-अनुच्छेद 16.2 में उल्लिखित पते पर बीडीएस में उल्लिखित तारीख और समय से पहले प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि बोलियां प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अंतिम तारीख को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त की जायेंगी/अपलोड की जायेंगी।

17.2 बोलियों को प्रस्तुत/अपलोड करते समय पोर्टल के माध्यम से प्रणाली दस्तावेजों के इनक्रिपशन के लिए पास फ्रेज मांगती है। बोलियों को खोलने के लिए नियोक्ता द्वारा (पहले लिफाफे के साथ-साथ दूसरे लिफाफे के लिए) पास फ्रेज प्रयुक्त करना जरूरी होता है। पास फ्रेज प्रस्तुत करने के लिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बॉक्स (ईकेबी) द्वारा पोर्टल पर पास फ्रेज प्रस्तुत किया जा सकता है। पास फ्रेज को प्रस्तुत करने का प्रारंभिक और समापन समय **बीडीएस** में विनिश्चित किया गया है।

अंतिम तारीक्ष केवल ई-प्रोक्युरमेंट सर्वर क्लॉक के अनुसार वर्णीत की जाएगी।

यदि किसी भी कारणवश अनुसार इलेक्ट्रोनिक की बॉक्स (ईकेबी) को खोला नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता अपने विवेक से बोलीदाता को बोली खोलने के कार्यक्रम के दौरान पोर्टल के माध्यम से पास फ्रेज भेजने का विकल्प दे सकता है। तथापि, यदि किसी भी कारणवश बोली को निर्धारित समय के भीतर नहीं खोला जा सकता है, तो उसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे मामले में बोली को बिना खोले हुए पोर्टल पर *"आर्काईव"* (लेखागार) में भेज दिया जाएगा और उस पर आगे बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा।

17.3 नियोक्त अपने विवेक से बोली को खोलने के निर्धारित समय से पहले किसी भी समय बोलियों को प्रस्तुत किए जाने की अंतिम निर्धारित तारीख को आगे बढा सकता है और ऐसा किए जाने के बाद इस मामले में नियोक्ता और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व बढाई गई अंतिम तारीख के अध्यधीन होंगे।

इसके अतिरिक्त नियोक्ता के पास बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख को बढाने अथवा बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख के 24 घंटों के भीतर लंबे समय तक ई-प्रोक्युरमेंट सर्वर के बंद हो जाने पर (अर्थात उसका उपयोग नहीं किए जा सकने/निष्क्रिय होने पर) निविदा को वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित होगा।

18. विलंबित बोलियां

18.1 बोलीदाता को बोलियां प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख को नियत समय के भीतर पोर्टल पर अपलोडिंग करने से भिन्न किसी अन्य माध्यम (मॉड) से बोली के सॉफ्ट कॉपी पार्ट को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रोक्युरमेंट की प्रणाली **बीडीएस** में विनिश्चित देय तारीख और समय के बाद पोर्टल के माध्यम से बोलियों को विलंब से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगी। इलेक्ट्रोनिक ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रणाली एक विशिष्ट पहचान संख्या सृजित करती है जिस पर समय मुद्रांकित होता है। इसे बोली प्रस्तुत करने की आवती माना जाएगा।

यदि बोली प्रस्तुत करने के लिए **बीडीएस** में नियोक्ता द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख के बाद नियोक्ता को पोर्टल पर देर से बोली का हार्ड कॉपी पार्ट प्राप्त होता है, लेकिन बोलीदाता ने बोली के सॉफ्ट कॉपी पार्ट को अपलोड कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में बोली को विलंब से प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा। ऐसे मामले में यदि बोलीदाता ने बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार पास फ्रेज प्रस्तुत किया है, तो पोर्टल पर अपलोड किए गए उसकी बोली के पहले लिफाफे के सॉफ्ट कॉपी पार्ट को खोला जाएगा, अन्यथा उसकी बोली को बिना खोले हुए पोर्टल पर "*आर्काईव*" (लेखागार) में भेज दिया जाएगा। ऐसी बोलियों को प्रारंभिक जाच के दौरान अस्वीकार कर दिया जाएगा।

19. बोलियों में संशोधन और उनको वापस लेना

19.1 बोलीदाता पोर्टल https://www.tel-india-electronictender.com पर संबद्ध प्रावधानों द्वारा अपनी बोली में संशोधन कर सकता है। बोलीदाता अपनी बोली को प्रस्तुत करने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है, बशर्ते कि ऐसा संशोधन पोर्टल पर किया जाए और साथ ही नियोक्ता को बोली प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अंतिम तारीख से पहले बोलीदाता से इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाए।

19.2 निम्नोक्त अनुसार बोलीदाता के संशोधन किए जायेंगे और प्रस्तुत किए जायेंगे:-

(1) पोर्टल में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार बोली का संशोधित इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र।

(2) यदि कोई भी संशोधन किया गया है, तो समग्र बोली की सॉफ्ट कॉपी।

19.3 बोलीदाता केवल पोर्टल में उल्लिखित संबद्ध प्रावधानों द्वारा अपनी बोली को वापस ले सकता है।

19.4 बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख और आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 14 में विनिश्चित बोली की वैधता अवधि के बीच के अंतराल में किसी भी बोली को वापस नहीं लिया जा सकता है। इस अंतराल के दौरान बोली को वापस लेने के फलस्वरूप आईटीबी, भाग-2 के उप-अनुच्छेद 13.6 के अनुसार बोलीदाता की बोली की प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

ङ. बोलियों को खोलना और उनक मूल्यांकन करना

20. नियोक्ता द्वारा पहले लिफाफे को खोलना

20.1 नियोक्ता, बोलीदाता के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, जिन्होंने **बीडीएस** में निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर आयोजित होने वाले बोली खोलने के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहने का चयन किया है, उनके और जनता के सामने पहले लिफाफे नामत: - तकनीकी - वाणिज्यिक पार्ट को खोलेगा, जिसमें आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 19 के अनुसार बोली वापस लेना और संशोधन करना शामिल है। बोलीदाताओं के उपस्थित प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। जिन बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं, वे अपने स्थान पर पोर्टल पर ऑन लाईन निविदा खोलने के कार्यक्रम को स्वयं देख सकते हैं। यदि बोलियां प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अंतिम तारीख को नियोक्ता के लिए

अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त की जायेंगी/अपलोड की जायेंगी।

20.2 बोलियों को खोलने के दौरान पहले उन लिफाफों को खोला जाएगा जिन पर "*वापस लेना*" चिन्हित होगा। आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 19 के अनुसार वापस ली गई बोलियों को खोला नहीं जाएगा।

20.3 सभी अन्य बोलियों के लिए बोलीदाताओं के नामों, ऐसे विचलन, यदि कोई हो, जिससे बोली को वापस लिया जाता है, बोली की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा समझौते, सुरक्षा समझौते और ऐसा कोई अन्य ब्यौरा, जिसे नियोक्ता उपयुक्त समझते हैं, को नियोक्ता द्वारा पोर्टल के माध्यम से घोषित किया जाएगा। उसके बाद "*संशोधन*" चिन्हित सभी लिफाफों को खोला जाएगा। बोली को खोले जाने से, चाहे उसके साथ निविदा शुल्क और/अथवा बोली की प्रतिभूति और/अथवा सत्यनिष्ठा समझौता और/अथवा सुरक्षा समझौता लगाया गया हो या नहीं, यह नहीं माना जाएगा कि उसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उनकी भाग-2 में निहित प्रावधानों के अनुसार विस्तार से जांच की जाएगी।

20.4 नियोक्ता बोली खोलने के विवरण के प्रपत्र में बोली खोलने के कार्यवृत तैयार करेगा, जिसमें आईटीबी, भाग-2 के उप-अनुच्छेद 20.3 के अनुसार उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकट की गई सूचना निहित होगी।

20.5 किन्हीं भी परिस्थितियों का लिहाज किए बिना बोली खोलने के समय खोली नहीं गई बोलियों पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोलियों को खोले बिना बोलीदाताओं को वापस लौटा दिया जाएगा/"*आर्काईव*" (लेखागार) में भेज दिया जाएगा।

21. बोलियों के बारे में स्पष्टीकरण

21.1 बोली का मूल्यांकन करने के समय नियोक्ता अपने विवेक से बोलीदाता को उसकी बोली के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने जरूरी हैं, आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (ख), (ओ) (एस) और (टी) अथवा आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 9.3 (ग) और (ङ) के अनुसार संयुक्त उद्यम उपक्रम के विलेख के अनुसार संबंधित/अभिज्ञात किए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने जरूरी हैं और ऐसे दस्तावेजों में त्रुटि होने/उन्हें प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियोक्ता बोलीदाता को ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने/दस्तावेजों को आशोधित करने के लिए 7 कार्य-दिवसों से अनधिक का नोटिस दे सकता है और बोलीदाता द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण देने का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित में होगा और बोली की कीमत में अथवा उसके किसी भी विषय में कोई भी परिवर्तन करने की मांग, पेशकश नहीं की जाएगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. पहले लिफाफे की प्रारंभिक जांच

22.1 नियोक्ता यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेंगे कि क्या वे पूरी हैं, क्या अपेक्षित प्रतिभूतियां प्रस्तुत की गई हैं, क्या दस्तावेजों पर विधिवत् हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या बोलियां सामान्य रूप से ठीक हैं।

निर्धारित अंतिम तारीख और समय के भीतर पोर्टल पर बोलियां (बोली की सॉफ्ट कॉपी) प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, भले ही बोलीदाता ने आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 17.1 के अनुसार निर्धारित अंतिम तारीख और समय के भीतर विशिष्ट दस्तावेजों को मूलरूप में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत कर दिया है, उसकी बोली को अपूर्ण बोली माना जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार बोली के हार्ड कॉपी को प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में भी, भले ही बोलीदाता ने बोली की सॉफ्ट कॉपी पार्ट को अपलोड कर लिया है, बोली को अपूर्ण बोली माना जाएगा। ऐसे मामले में यदि बोलीदाता ने बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार पास फ्रेज प्रस्तुत किया है, तो पोर्टल पर अपलोड किए गए उसकी बोली के पहले लिफाफे के सॉफ्ट कॉपी पार्ट को खोला जाएगा, अन्यथा उसकी बोली को बिना खोले हुए पोर्टल पर "*आर्काईव*" (लेखागार) में भेज दिया जाएगा। ऐसी बोलियों को प्रारंभिक जाच के दौरान अस्वीकार कर दिया जाएगा।

22.2 नियोक्ता बोली में ऐसी किसी भी मामूली अनौपचारिकता, असंगतता अथवा अनियमितता को छोड सकते हैं, जो कि वास्तविक विचलन नहीं बनती है, चाहे उसे बोलीदाता की बोली के संलगनक-6 में बोलीदाता द्वारा अभिज्ञात किया गया है अथवा नहीं और आईटीबी, भाग-2 के अनुच्छेद 24 के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन के फलस्वरूप ऐसा किसी भी अन्य बोलीदाता के प्रतिकूल नहीं है अथवा उसकी संबंधित रैंकिंग को प्रभावित नहीं करता है।

22.3 व्यापक मूल्यांकन करने से पहले नियोक्ता यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक बोली स्वीकार्य है, पूरी है और बोली के दस्तावेजों के अनुसार पर्याप्त रूप से अनुकूल है। संलगनक-6 और/अथवा बोली के प्रपत्र, तकनीकी डाटा शीट और आवरण पत्र अथवा बोली के किसी भी भाग में दी गई सोपाधिकता अथवा संरक्षण में किसी भी प्रकार के विचलन की पुनरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की जाएगी कि पर्याप्त रूप से अनुकूल बोली वही है, जो कि वास्तविक विचलनों, आपत्तियों, सोपाधिकता अथवा संरक्षणों के बिना बोली के दस्तावेजों की सभी शर्तों और विनिर्देशनों को पूरा करती है। वास्तविक विचलन, आपत्ति, सोपाधिकता अथवा संरक्षण ऐसा कारण है (1) जो संविदा के कार्य-क्षेत्र, गुणवत्ता अथवा निष्पादन को प्रभावित करता है; (2) जो कि किसी भी पर्याप्त तरीके से बोली के दस्तावेजों, नियोक्ता के अधिकारों अथवा संविदा के अंतर्गत सफल बोलीदाता के दायित्वों के असंगत है अथवा (3) जिनका आशोधन ऐसे अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, जो कि पर्याप्त रूप से अनुकूल बोलियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

22.3.1 जीसीसी के अनुच्छेद 2.14 (अधिशासी विधि), 8 (भुगतान की शर्ते) 9.3 (निष्पादन की प्रतिभूति), 10 (कर और शुल्क), 21.2 (पूरा करने के समय की गारंटी),

22 (देयता दोष), 23 (कार्यात्मक गारंटी), 25 (पेटेंट की क्षतिपूर्ति), 26 (देयता की सीमा), 38 (विवादों का निपटारा), 39 (विवाचन) और संविदा करार (कीमत समायोजन) के प्रपत्र के परिशिष्ठ-2 से संबंधित मुख्य प्रावधानों से विचलन करने वाली बोलियों को गैर-अनुकूल माना जाएगा।

22.3.2 बोली में शुरू किए गए विचलनों, सोपाधिकता अथवा संरक्षणों के संबंध में इनकी पुनरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की जाएगी कि बोलीदाता की बोली आईटीबी, भाग-2 के उप-अनुच्छेद 22.3 के अनुसार पर्याप्त रूप से अनुकूल है। बोली की विषय वस्तु में यदि कोई विचलन है, तो उसका निदान करने के लिए इन दस्तावेजों को अग्रता के क्रम में रखा जाएगा, जो कि निम्नानुसार होगा:-

(1) बोली का प्रपत्र
(2) संलगनक 6: विचलन
(3) तकनीकी डाटा शीट
(4) बोली को कोई अन्य भाग

उपरोक्त क्रम संख्या (1) में उल्लिखित दस्तावेज की विषय-वस्तु अन्य दस्तावेजों {उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4)} पर अधिभावी होगी। इसी प्रकार क्रम संख्या (2) और उसके बाद के क्रमांकों के दस्तावेज अनय दस्तावेजों {क्रम संख्या (3) से (4)} पर अभिभावी होंगे और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा।

22.4 यदि बोली पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं होती है, तो नियोक्ता द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता द्वारा बाद में उसकी गैर-अनुरूपता को आशोधित करके उसे पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है। बोली के अनुकूल होने का नियोक्ता का निर्धारण, अंतरभूत साक्ष्य के सहारे के बिना स्वत: बोली में निहित विषय वस्तु पर आधारित होगा।

23. अर्हता

23.1 नियोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए यह पता करेगा कि क्या बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियां अनुबंध-3 (बीडीएस) में विनिश्चित अर्हता आवश्यकता के अनुसार हैं ताकि वे संविदा का संतोषजनक ढंग से निष्पादन कर सके। इस संबंध में एक मात्र नियोक्ता निर्णायक होगा और नियोक्ता का अर्हता आवश्यकता का प्रतिपादन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

23.2 निर्धारण में बोलीदाता की उत्पादन क्षमताओं, विशेषकर हस्तगत संविदा के कार्य करने की क्षमताओं सहित वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं, भावी वचनबद्धता और वर्तमान मुकदमेबाजी और नियोक्ता द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई संविदाओं के विगत कार्य-निष्पादन, जिसमें संविदा के क्रियान्वयन के दौरान हुई घातक दुर्घटनाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा निर्धारण बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत किए गए संलगनक-3 में बोलीदाता की अर्हताओं के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा आवश्यक और उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य सूचना पर आधारित होगा। तथापि, यह ऐसे मूल्यांकन के अध्यधीन होगा, जो कि

अनुबंध-क (बीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार यदि आवश्यक होता है, तो नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है।

निर्धारण में ऐसी दुर्घटनाओं के इतिहास पर भी विचार किया जाएगा, जिनमें बोलीदाता निम्नानुसार नियोक्ता के साथ संविदा करता है:-

किसी वित्तीय वर्ष में दो संचयी घातक दुर्घटनाओं में लिप्त होने के बाद ऐसे बोलीदाता द्वारा सभी पैकेजों में प्रस्तुत की गई ऐसी बोलियों को गैर-अनुकूल समझा जाएगा, जिनकी बोली खोलने की तारीख मुख्यतया निर्धारित की गई है और/अथवा वास्तविक तारीख, विगत दुर्घटना की तारीख से तीन महीनों के भीतर पडती है। तथापि, यदि उक्त तीन महीनों के दौरान ऐसे बोलीदाता से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो तीन महीनों के बाद प्रस्तुत की गई किसी भी एक बोली को गैर-अनुकूल समझा जाएगा।

किसी वित्तीय वर्ष में तीन संचयी घातक दुर्घटनाओं में लिप्त होने के बाद ऐसे बोलीदाता द्वारा सभी पैकेजों में प्रस्तुत की गई ऐसी बोलियों को गैर-अनुकूल समझा जाएगा, जिनकी बोली खोलने की तारीख मुख्यतया निर्धारित की गई है और/अथवा वास्तविक तारीख, विगत दुर्घटना की तारीख से छ: महीनों के भीतर पडती है। तथापि, यदि उक्त छ: महीनों के दौरान ऐसे बोलीदाता से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो छ: महीनों के बाद प्रस्तुत की गई किसी भी एक बोली को गैर-अनुकूल समझा जाएगा।

यदि वित्तीय वर्ष के दौरान हुई तीन घातक दुर्घटनाओं के छ: महीनों के भीतर किसी घातक दुर्घटना की पुनरावृति होती है, तो ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को एक वर्ष के लिए गैर-अनुकूल समझा जाएगा, जो कि विगत घातक दुर्घटना की तारीख से माना जाएगा। तथापि, यदि उक्त एक वर्ष के दौरान ऐसे बोलीदाता से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो एक वर्ष बाद प्रस्तुत की गई किसी भी एक बोली को गैर-अनुकूल समझा जाएगा।

ट्रांसमिशन लाईन टॉवर पैकेजों के मामले में यदि किसी संविदा में टॉवर गिरने की घटना होती है जिसके लिए संविदाकार जिम्मेदार होता है, तो एक (01) से अधिक ऐसी घटना होने पर सभी पैकेजों के लिए ऐसे बोलीदाता की ऐसी बोली को गैर-अनुकूल समझा जाएगा, जिसकी बोली खोलने की तारीख मुख्यतया निर्धारित की गई है और/अथवा वास्तविक है, जो कि विगत दुर्घटना की तारीख से छ: महीनों के भीतर पडती है।
उपरोक्त प्रयोजनार्थ घातक दुर्घटनाओं की संख्या को गिनने का क्रम वित्तीय वर्ष-वार (मार्च को समाप्त वर्ष) होगा। इस संबंध में एकमात्र निर्णायक नियोक्ता होगा।

किसी सतत संविदा में नियोक्ता को किसी दुर्घटना के बारे में सूचना नहीं देने अथवा दुर्घटना के बारे में तथ्यों/संबंधित सूचना को छिपाने के फलस्वरूप ऐसे बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोली का निर्धारण, सभी पैकेजों के लिए गैर-अनुकूल समझा जाएगा, जिनकी बोली खोलने की तारीख मुख्यतया निर्धारित की गई है और/अथवा वास्तविक तारीख, उस तारीख से एक वर्ष के भीतर पडती है, जिस तारीख को नियोक्ता के ध्यान में ऐसी दुर्घटना लाई जाती है।

बोलीदाता के नियोक्ता के साथ सतत किसी भी संविदा में घातक दुर्घटना की पुनरीक्षा करने के बाद अपने मंडल के संकल्प के साथ ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्य-योजना को नियोक्ता

को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर और/अथवा बोलीदाता के सीईओ के मामले में पावरग्रिड अपेक्स सेफ्टी बोर्ड को घातक दुर्घटना के कारण को सूचित नहीं किए जाने पर और घातक दुर्घटना होने के 60 दिनों के भीतर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति की रोकथाम करने के लिए अपनी भावी कार्य-योजना/सुरक्षा की तैयारी के बारे में अवगत नहीं कराने पर उसकी बोलियों को तब तक गैर-अनुकूल समझा जाएगा जब तक कि वह उन्हें नियोक्ता को प्रस्तुत नहीं करता है।

23.3 नियोक्ता बोली में ऐसी किसी भी मामूली अनौपचारिकता, असंगतता अथवा अनियमितता को छोड सकते हैं, जो कि वास्तविक विचलन नहीं बनती है, जिससे संविदा को निष्पादित करने की बोलीदाता की क्षमता प्रभावित हो।

23.4 एक निश्चयात्मक निर्धारण, बोलीदाता के तकनीकी-वाणिज्यिक पार्ट का मूल्यांकन करने और दूसरा लिफाफा खोलने के लिए नियोक्ता की पूर्वापेक्षा होगी। एक नकारात्मक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

24. तकनीकी – वाणिज्यिक भाग का मूल्यांकन करना (पहला लिफाफा)

24.1 नियोक्ता अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की बोलियों का व्यापक मूल्यांकन करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या तकनीकी पहलु बोली के दस्तावेजों में निर्धारित की गई आवश्यकताओं के समनुरूप हैं। ऐसा निर्धारण करने के लिए नियोक्ता, भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 9 के अनुसार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और बोली के दस्तावेजों में अन्य आवश्यकताओं की जांच करेगा, जिसके लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) तकनीकी विनिर्देशनों और रेखा-चित्रों की समग्र सम्पूर्णता और अनुपालन; बोली के परिशिष्ठ-6 में यथा अभिज्ञात तकनीकी विनिर्देशनों से विचलन और ऐसे विचलन जो अभिज्ञात नहीं किए गए हैं; स्थल पर प्रचलित परिस्थितिकीय और जलवायु की दशाओं के प्रसंग में पेश की गई सुविधाओं की उपयुक्तता तथा बोली में शामिल की गई किसी भी प्रक्रिया नियंत्रण की अवधारणा की गुणवत्ता, कार्य और प्रचालन। ऐसी बोली को जो कि सम्पूर्णता, सुसंगतता और ब्यौरों के न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को पूरा नहीं करेगी, गैर-अनुकूल होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) सुविधाओं द्वारा विनिश्चित कार्य-निष्पादन मानदंड को प्राप्त करना।

(ग) संविदा करार के प्रपत्र के तदनुरूप परिशिष्ठ में निर्धारित समय अनुसूची का अनुपालन करना और बोली में प्रदत्त लक्ष्य की अनुसूची में जैसा सुसपष्ट किया गया है, साक्ष्य प्रस्तुत करना।

<u>समय अनुसूची (कार्य-निष्पादन का कार्यक्रम)</u>

इस बोली में शामिल किए गए संयंत्र और उपस्कर को **बीडीएस** में विनिश्चित अवधि के भीतर सफलता पूर्वक पूरा हो जाने के बाद नियोक्ता द्वारा अपने "अधिग्रहण" में ले लिया जाएगा। बोलीदाताओं को संविदा करार के प्रपत्र के परिशिष्ठ-4 (समय अनुसूची)

में दी गई समय अनुसूची पर अपनी कीमत को अथवा जहां परिशिष्ठ-4 में कोई समय अनुसूची नहीं दी गई है, वहां उनके पूरा होने की उपरोक्त तारीख को आधार बनाए जाने की आवश्यकता है। कार्य को पहले पूरा करने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा। विनिश्चित अवधि के बाद कार्य को पूरा करने की पेशकश करने वाली बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(घ) अनिवार्य और संस्तुत सहायक कल-पुर्जो की किस्म, मात्रा और दीर्घकालिक उपलब्धता और अनुरक्षण सेवाएं।

(ङ) ऐसा कोई अन्य संबद्ध तकनीकी कारक जिस पर विचार करना नियोक्ता आवश्यक अथवा विवेकपूर्ण समझता है।

(च) बोली के दस्तावेजों में निर्धारित वाणिज्यिक और संविदात्मक प्रावधानों से कोई विचलन।

(छ) बोली के दस्तावेजों के वोल्यूम-2 में विनिश्चित आवश्यकताओं के अनुकूल बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ब्यौरे।

(ज) बोलीदाता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले संलगनक-5 में प्रस्तावित विक्रेताओं और उप-संविदाकारों की स्वीकार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि अनुबंध-क **(बीडीएस)** के अंतर्गत शामिल की गई मदों से भिन्न किन्हीं अन्य मदों के लिए एक विक्रेता अथवा उप-संविदाकार अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बोली को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन बोलीदाता को बोली की कीमत में कोई परिवर्तन किए बिना एक स्वीकार्य विक्रेता अथवा उप-संविदाकार प्रतिस्थापित करना होगा।

24.2 जहां वैकल्पिक तकनीकी साधनों की अनुमति दी जाती है और बोली के संलगनक-7 में उनकी पेशकश की गई है, तो नियोक्ता विकल्पों का इस प्रकार का मूल्यांकन करेगा, जिसे तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकनों में ऐसा माना जाएगा कि ऐसा करना बोलियों का आधार था। जहां विकल्पों की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन किसी परिस्थिति में उनकी पेशकश की गई है, तो उनकी अनदेखी की जाएगी।

25. नियोक्ता द्वारा दूसरे लिफाफे को खोलना

25.1 <u>दूसरा लिफाफा</u> अर्थात् कीमत भाग, केवल उन्ही बोलीदाताओं का खोला जाएगा, जो आश्वस्त हैं कि उन्होंने पर्याप्त रूप से अनुकूल बोलियां प्रस्तुत की हैं और जो यह निश्चय रूप से जान लेते हैं कि वे भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के योग्य हैं। नियोक्ता द्वारा ऐसे बोलीदाताओं को उनकी बोलियों के कीमत के भाग अर्थात् <u>दूसरे लिफाफे</u> को खोले जाने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे बोलीदाताओं को नकारात्मक निर्णय सूचित किया जाएगा, जो कि उनकी बोलियों पर भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार

लिया गया है और ऐसे बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे लिफाफे को खोले बिना "*आर्काईव*" में भेज दिया जाएगा और बोली की प्रतिभूति उनको वापस लौटा दी जाएगी।

25.2 नियोक्ता, बोलीदाता के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों, जिन्होंने दूसरे लिफाफे को खोलने से संबंधित सूचना में निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर आयोजित होने वाले बोली खोलने के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहने का चयन किया है, के समक्ष दूसरे लिफाफे नामत: - कीमत भाग को खोलेगा। बोलीदाताओं के उपस्थित प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। जिन बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं और जो उपरोक्त पैरा 25.1 में उल्लिखित अनुसार योग्य पाए गए हैं, वे अपने स्थान पर पोर्टल पर ऑन लाईन निविदा खोलने के कार्यक्रम को स्वयं देख सकते हैं।

25.3 बोलियों को खोले जाने के समय बोलीदाताओं के नामों, किसी वैकल्पिक बोली कीमत अथवा किसी छूट सहित बोली की कीमतों तथा पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा भरे गए इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र के अनुसार ऐसे अन्य ब्यौरों को पोर्टल पर देखा जा सकेगा। बोलीदाताओं द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र/टेम्पलेट पर भरी गई और बोली खोलने के दौरान खोली गई और बोली खोलने के विवरण में दर्ज की गई कीमतों और ब्यौरों से बोलीदाताओं के बीच सापेक्षिक रैंकिंग अथवा सफल बोलीदाता का निर्धारण किया जाना नहीं माना जाएगा और यह किसी भी बोलीदाता को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देगा अथवा दावा करने का हक नही देगा। इस भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार सफल बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता भी कहा गया है) का निर्णय लिया जाएगा और भाग-2, आईटीबी के अनुच्छेद 31 में उल्लिखित अनुसार उसे संविदा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

25.4 नियोक्ता बोली खोलने के कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिसमें भाग-2, आईटीबी के उप-अनुच्छेद 25.31 के अनुसार बोली खोले जाने के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकट की गई सूचना निहित होगी।

25.5 बोली खोले जाने के समय खोली नहीं गई और पढी नहीं गई बोलियों पर किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्यांकन करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

26. एकल मुद्रा में परिवर्तन

26.1 यह घरेलू फर्मों पर लागू नहीं होगा क्योंकि घरेलू फर्मों को अपनी कीमते केवल भारतीय रूपयों में उधृत करनी अपेक्षित हैं।

27. **दूसरे लिफाफों का मूल्यांकन करना (कीमत भाग)**

27.1 नियोक्ता कीमत भाग (दूसरे लिफाफों) की यह निर्धारण करने के लिए जांच करेगा कि क्या वे पूरे हैं, क्या कंप्यूटर से उनमें कोई गलती की गई है, क्या उनके परिकलन में कोई गलती की गई है, क्या दस्तावेजों पर विधिवत् हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या बोलियां सामान्यतया ठीक हैं।

संविदात्मक और वाणिज्यिक दशाओं और तकनीकी विनिर्देशनों से किसी भी प्रकार के ऐसे विचलनों और कमियों, जिन्हें पहले लिफाफे में अभिज्ञात नहीं किया गया है, से युक्त कीमत भाग को अस्वीकार किया जा सकता है।

27.2 गणितकीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर आशोधित किया जाएगा। यदि यूनिट कीमत और कुल कीमत के बीच असंगति होती है, जिसे यूनिट कीमत और नियोक्ता द्वारा विनिश्चित मात्रा के साथ अथवा उप-योग और कुल कीमत के बीच गुणा करके निकाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उप-योग की कीमत अभिभावी होगी तथा मात्रा और कुल कीमत को आशोधित किया जाएगा। तथापि, किसी मात्रा अथवा मदों का उल्लेख किए बिना जिनके लिए बोलीदाता द्वारा मात्राओं को अनुमानित किया जाना है, ऐसी मद के लिए उधृत की गई कुल कीमत, ऐसी मदों पर अभिभावी होगी। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच असंगति रहती है, तो शब्दों में लिखी गई राशि अभिभावी होगी।

यदि किसी की कीमत अनुसूची में नियोक्ता द्वारा विनिश्चित मात्रा और बोलीदाता द्वारा उल्लिखित मात्रा के बीच कोई असंगित रहती है, तो नियोक्ता द्वारा विनिश्चित मात्रा अभिभावी होगी और असंगति को दूर करने के लिए तदनुसार आशोधन किया जाएगा।

ऐसी समस्त मदों की कीमतों को, जिनके लिए बोलीदाता ने कीमत अनुसूचियों में कोई दरें/राशि उल्लिखित नही की है (अर्थात् मदें खाली छोड़ दी गई हैं अथवा मदों के सामने -- निर्दिष्टि किया गया) अन्य मद (मदों) में शामिल किया हुआ माना जाएगा।
यदि बोलीदाता द्वारा पेश किए गए डिस्काउंट्स/छूटें, डिस्काउंट्स और कीमत संघटक (संघटकों) का प्रतिशत मात्र होता है और बोली में जिन पर उक्त डिस्काउंट निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो ऐसे बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने की स्थिति में उसे बोली की कुल कीमत (अर्थात् प्रत्येक कीमत संघटक का समानुपात) माना जाएगा। तथापि, यदि एक मुश्त डिस्काउंट की पेशकश की जाती है, तो उसे कार्य-गत कीमत संघटक पर (अर्थात् प्रत्येक विशिष्ट मद की कार्य-गत कीमत को समानुपात ढंग से घटा कर) पूरा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बोलीदाता द्वारा यदि किसी शर्त पर डिस्कांउट/छूट की पेशकश की जाती है, तो उस पर मूल्यांकन में विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, संविदा प्रदान करने की स्थिति में उस पर विचार किया जाएगा।

बोलीदाता द्वारा बोली में निर्दिष्ट करों, शुल्कों और अन्य प्रभारों, जो कि बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति करने योग्य हैं, के सबंध में उसकी लागू दर और कीमत के आधार का नियोक्ता द्वारा पता लगाया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो नियोक्ता द्वारा आवश्यक आशोधन और गणितकीय सांशोधन जारी किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार से सुनिश्चित की गई लागत अभिभावी होगी।

इस प्रयोजनार्थ बोली के प्रपत्र में अभिज्ञात किया जाने वाला उप-योग, कुल योग अथवा बोली की कुल कीमत को, उनकी राशि में निर्दिष्ट शब्दों और आंकडों के बीच असंगति के निरपेक्ष ऊपर स्पष्ट की गई क्रिया-विधि के अनुसार आशोधित किया जाएगा।

यदि बोलीदाता इस अनुच्छेद के अनुसार त्रुटियों के आशोधन को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बोली की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

27.3 तुलना कीमत अनुसूची संख्या 6 (छूट के बाद) में कुल कीमत से और यदि लागू होता है, तो *"डिसकाउंट के पत्र"* के क्रमांक 6 में उल्लिखित भिन्न तरीके से बोलीदाता द्वारा पेश किए गए डिसकाउंट को ध्यान में रख कर की जाएगी।

ऐसी तुलना में लागू करों, शुल्कों और अन्य प्रभारों को भी शामिल किया जाएगा जो कि बोली क दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति करने योग्य हैं।

नियोक्ता की तुलना में भाग-2, आईटीबी के उप-अनुच्छेद 27.4 और 27.5 में उल्लिखित मूल्यांकन की क्रिया-विधियों को लागू किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली लागतों को भी शामिल किया जाएगा।

27.4 नियोक्ता के बोली के मूल्यांकन में 5 लिफाफों (दूसरे लिफाफे) द्वारा कीमत अनुसूची संख्या 1 में निर्दिष्ट बोली की कीमत पर विचार करने के अतिरिक्त मूल्यांकन में प्रत्येक बोलीदाता की बोली कीमत में नियोक्ता के पास उपलब्ध कीमत संबंधी सूचना को प्रयुक्त करके भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.5 और तकनीकी विनिर्देशनों में निर्दिष्ट तरीके और सीमा में निम्नलिखित लागत और कारकों को जोडा जाएगा:-

(क) संविदात्मक और वाणिज्यिक शर्तों तथा तकनीकी विनिर्देशनों, जैसा कि पहले लिफाफे के मूल्यांकन में अभिज्ञात किया गया है, से सभी मात्रात्मक विचलनों और विलोपनों तथा ऐसे अभिज्ञात नहीं किए गए अन्य विचलनों और विलोपनों की लागत।

(ख) *पेश की गई सुविधाओं की कार्यात्मक गारंटी:*

बोलीदाता तकनीकी विनिर्देशनों के उत्तर में प्रस्तावित सुविधाओं की कार्यात्मक गारंटी (अर्थात् कार्य-निष्पादन, कार्यकुशलता और खपत) का उल्लेख करेगा। पेश किए गए ऐसे संयत्र और उपस्कर को अनुकूल माना जाएगा, जिनकी कार्यात्मक गारंटियों का स्तर, तकनीकी विनिर्देशनों में विनिश्चित न्यूनतम स्तर (अथवा अधिकतम, जैसी भी स्थिति हो) होगा। पेश किए जाने वाले ऐसे संयंत्र और उपस्कर की बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिनका कार्यात्मक गारंटी स्तर, विनिश्चित न्यूनतम (अथवा अधिकतम) स्तर से कम (अथवा अधिक) होगा।

(ग) *<u>पेश किए गए उपस्कर का कार्य-निष्पादन:</u>*

बोलीदाता तकनीकी विनिर्देशनों के उत्तर में **बीडीएस** में नामक उपस्करों के गारंटी शुदा कार्य-निष्पादन अथवा कार्य-कुशलता का उल्लेख करेगा। पेश किए गए ऐस उपस्कर को अनुकूल माना जाएगा जिसकी कार्यात्मक गारंटियों का स्तर, तकनीकी विनिर्देशनों में विनिश्चित गारंटी के स्तर से न्यूनतम (अथवा अधिकतम, जैसी भी स्थिति हो) होगा। पेश किए जाने वाले ऐसे संयंत्र और उपस्कर की बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिनका कार्यात्मक गारंटी स्तर, विनिश्चित न्यूनतम (अथवा अधिकतम) स्तर से कम (अथवा अधिक) होगा।

(घ) निर्माण-कार्य, सेवाओं और सुविधाओं आदि की अतिरिक्त लागत की व्यवस्था निर्याक्ता अथवा तृतीय पक्षकारों को करनी आवश्यक होगी।

(ङ) **बीडीएस** में सूचीबद्ध कोई अन्य संबद्ध कारक।

संविदा के क्रियान्वयन की अवधि में लागू संविदा की शर्तों के कीमत समायोजन के प्रावधानों के अनुमानित प्रभाव पर बोली के मूल्यांकन में विचार नहीं किया जाएगा।

27.5 भाग-2, आईटीबी के उप-अनुच्छेद 27.4 के अनुसार निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों का अनुपालन किया जाएगा:-

(क) *<u>संविदात्मक और वाणिज्यिक विचलन</u>*

इस बोली के दस्तावेजों के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक, संविदात्मक और तकनीकी दायित्वों के अनुपालन में संविदा को पूरा करने की मूल्यांकत लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। *<u>पहले लिफाफे</u>* के मूल्यांकन में अभिज्ञात किए गए विचलनों के लिए मूल्यांकित लागत प्राप्त करने के लिए बोलीदाता द्वारा *<u>पहले लिफाफे</u>* के संलगनक-6 में निर्दिष्ट बोली वापस लेने की लागत को प्रयुक्त किया जाएगा। यदि ऐसी कीमत नहीं दी गई है, तो नियोक्ता बोलियों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे विचलन की लागत का निजी निर्धारण करेगा।

(ख) *<u>सुविधाओं की कार्यात्मक गारंटी</u>*

मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ तकनीकी विनिर्देशनों में विनिश्चित समायोजन को बोलीदाता द्वारा पेश की गई अनुकूल क्रियात्मक गारंटी में प्रत्येक ड्राप (अथवा अतिरेक) के लिए बोली की कीमत में जोडा जाएगा, जो कि अधिकतर सम्पन्न होने वाली क्रियात्मक गारंटियों के साथ एक सौ (100) के मानक से या तो कम (या अधिक) होगा अथवा अनुकूल बोली में उल्लिखित मूल्य होगा, जैसा कि तकनीकी विनिर्देशनों में विनिश्चित किया गया है।

(ग) *<u>उपस्करों के कार्य-निष्पादन की गारंटी</u>*

मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, बीडीएस में विनिश्चित समायोजन को बोली की कीमत में जोड़ा जाएगा।

(घ) *<u>नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले निर्माण-कार्य, प्रदान की जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं आदि।</u>*

जिन बोलियों में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले एसे निर्माण कार्यों अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं अथवा सुविधाओं को शामिल किया गया है, जो कि बोली के दस्तावेजों में स्वीकृत प्रावधानों से अतिरेक हैं, नियोक्ता संविदा के क्रियान्वयन के दौरान ऐसे अतिरिक्त निर्माण-कार्य, सेवाओं और/अथवा सुविधाओं की लागत का निर्धारण करेगा। ऐसी लागत को मूल्यांकन के लिए बोली की कीमत में जोड़ा जाएगा।

27.6 उपरोक्त क्रिया-विधियों के फलस्वरूप कीमत में किसी भी प्रकार के समायोजन को केवल तुलनात्मक मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाएगा, ताकि एक "*मूल्यांकित बोली कीमत*" प्राप्त की जा सके। बोलीदाताओं द्वारा उधृत और भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.2 के अनुसार आशोधित बोली कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

28. क्रय/घरेलू वरीयता

28.1 प्रचलित भारत सरकार की नीति के अंतर्गत यथा स्वीकार्य क्रय वरीयता की स्वीकृति, केन्द्रीय सरकार के उद्यमियों को बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करने में दी जाएगी।

29. ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए)

29.1 कीमत में और कटौती करने के लिए इलेक्ट्रोनिक-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) का संचालन नीचे उल्लिखित तरीके से किया जाएगा।

29.2 भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.2 के अनुसार निर्धारित "*मूल्यांकित बोली कीमत*" के आधार पर बोलीदाताओं के पदक्रम का स्तर बढते क्रम में निर्धारित किया जाएगा। ऐसे पदक्रम के स्तर का आधार, निम्नतर एन/2 पदक्रम के बोलीदाताओं ("एन" के सम होने पर) अथवा (एन+1)/2 के बोलीदाताओं ("एन" के विषम होने पर) को, बशर्ते कि न्यूनतम 3 बोलीदाता हों, ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जहां "एन" संख्या ऐसे बोलीदाताओं की होगी, जिनकी बोलियों को अनुकूल पाया गया है और उनकी "*मूल्यांकित बोली कीमत*" का निर्धारण, भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.2 के अनुसार किया गया है।

29.3 तथापि, ऐसे मामले में जिनमें केवल ऐसे दो बोलीदाताओं की बोलियां अनुकूल पाई जाती हैं, जिनकी"*मूल्यांकित बोली कीमत*" का निर्धारण भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.2 के अनुसार किया गया है, ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) दोनों पक्षकारों के साथ किया जाएगा।

29.4 बोलीदाताओं के लिए ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) की लागू उच्चतम कीमत, भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 27.2 के अनुसार *"मूल्यांकित बोली कीमत"* होगी। ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) के दौरान इन बोलीदाताओं को लागू उच्चतम कीमत से कम अपनी कीमत घोषित करने की अनुमति दी जाएगी।

29.5 नियोक्ता के लिए और उसकी ओर से किसी भी आवेदन-पत्र सेवा प्रदायक (जिसे आगे "एएसपी" कहा गया है) के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) का संचालन किया जाएगा।

29.6 नियोक्ता द्वारा जब कभी भी "एएसपी" को प्राधिकृत किया जाता है, तो वह ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) के संचालन से पहले ई-रिवर्ज ऑक्शन (ई-आरए) के इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म, प्रक्रिया की क्रियाविधि/प्रतिकृति और अन्य ब्यौरे बोलीदाताओं को सूचित करेगा।

29.7 उपरोक्त के बावजूद ऐसे बोलीदाता जो या तो ई-आरए की आवश्यक अनुपालन सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा ई-आरए में भाग नहीं लेते हैं, उनकी खोली गई मूल कीमत, यदि वैध होती है, पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

29.8 इस संबंध में नियोक्ता एक मात्र निर्णायक होगा।

30. गोपनीयता और नियोक्ता से संपर्क करना

30.1 बोलियों के सार्वजनिक रूप से खोले जाने के बाद बोलियों की जांच, सपष्टीकरण और मूल्यांकन तथा संविदा प्रदान करने से संबंधित सिफारियों से संबंधित सूचना का प्रकटन बोलीदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों को नहीं किया जाएगा, जो बोली खोलने के समय से लेकर, संविदा प्रदान करने की सूचना के प्रकाशन होने तक इस प्रक्रिया से अधिकारिक रूप से संबंधित होते हैं। बोली खोलने से ले कर संविदा प्रदान करने तक के समय के भीतर यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता के साथ संपर्क करना चाहता है, तो ऐसा लिखित रूप में किया जाना चाहिए।

30.2 नियोक्ता के मूल्यांकन, बोली की तुलना अथवा संविदा प्रदान करने के निर्णय में नियोक्ता को प्रभावित करने का बोलीदाता द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास के फलस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में नियोक्ता एक मात्र निर्णायक होगा।

च. संविदा प्रदान करना

31. संविदा प्रदान करने का मानदंड

31.1 भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 32 के अध्यधीन नियोक्ता ऐसे सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा (जिसे आगे एल1 बोलीदाता भी कहा गया है) जिसकी बोली को पर्याप्त रूप से अनुकूल निर्धारित किया गया है और जो कि निम्नतम मूल्यांकित बोली है। इसके

अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था की गई है कि अनुबंध-1 (बीडीएस) में विनिश्चित अर्हता आवश्यकता के अनुसार योग्यता प्राप्त बोलीदाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए दृढ निश्चित है।

31.2 नियोक्ता बोलीदाता से विजेता बोली में सूचीबद्ध किसी भी विचलन को वापस लेने का अनुरोध कर सकता है।

संविदा प्रदान करते समय यदि नियोक्ता चाहता है कि बोलीदाता विचलनों को वापस ले ले, तो बोलीदाता पहले लिफाफे के संलगनक-6 में सूचीबद्ध विचलनों को उसके द्वारा उल्लिखित वापस लेने की लागत पर वापस ले लेगा। यदि बोलीदाता प्रस्तावित विचलनों में से किसी भी विचलन को उसके द्वारा बोली में उल्लिखित विचलन वापस लेने की लागत पर वापस नहीं लेता है, तो उसकी बोली को अस्वीकार किया जाएगा और उसकी बोली की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

ऐसे विचलनों को छोड कर जिन्हें नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया है, बोलीदाता को बोली के दस्तावेजों की सभी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

31.3 नियोक्ता के पास संविदा प्रदान करने के समय किसी भी सहायक कलपुर्जे की मात्रा को परिवर्तित करने और/अथवा सहायक कलपुर्जों की किसी भी मद को हटाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

31.4 सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान करने की पद्धति जीसीसी के उप-अनुच्छेद 2.1 में उल्लिखित अनुसार होगी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

31.4.1 संविदा को निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:-

(1) *पहली संविदा* : अनिवार्य सहायक कल-पुर्जों सहित सभी उपस्करों और सामग्री तथा किए जाने वाले टाईप टेस्ट (भारत अथवा विदेश में) की स्थल-गत आपूर्ति के लिए।

(2) *दूसरी संविदा:* सभी सेवाओं की प्रदानगी के लिए - जैसे कि स्थल पर प्रदानगी के लिए अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, सामान उतारना, भंडारण, स्थल पर सामान की व्यवस्था करना, संस्थापना, परीक्षण और चालू करना जिसमें पहली संविद के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सभी उपस्करों के कार्य-निष्पादन का परीक्षण शामिल है, (भारत अथवा विदेश में) दिया जाने वाला प्रशिक्षण तथा संविदा के दस्तावेजों में विनिश्चित कोई अन्य सेवा।

दोनों संविदाओं में "अन्योन्य भंग" करने का अनुच्छेद निहित होगा, जिसमें यह विनिश्चित होगा कि एक संविदा को भंग करने का तात्पर्य दूसरी संविदा को भंग करना होगा।

32. किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का नियोक्ता का अधिकार

32.1 नियोक्ता के पास किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा बोली देने की प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा प्रदान करने से पहले सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। नियोक्ता प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदातों की किसी देयता के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा अथवा नियोक्ता की कार्रवाई के आधार के बारे में बोलीदाता अथवा बोलीदातों को सूचित करने का उसका कोई दायित्व नहीं होगा।

33. संविदा प्रदान करने की अधिसूचना

33.1 बोली वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले, नियोक्ता सफल बोलीदाता को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है। संविदा प्रदान करने की अधिसूचना में संविदा की संरचना निहित होगी।

33.2 नियोक्ता बोली के परिणामों को अपनी बेवसाईट और पोर्टल पर प्रकाशित करेगा, जिसमें बोली और विनिर्देशन संख्याओं के उल्लेख के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना निहित होगी:- (1) बोली प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक बोलीदाता का नाम, (2) बोली खोलने के समय ई-प्रपत्र के अनुसार प्रदर्शित बोली की कीमतें, (3) मूल्यांकित प्रत्येक बोली का नाम और मूल्यांकित कीमतें, (4) उन बोलीदाताओं के नाम जिनकी बोलियों को अस्वीकार किया गया है और (5) विजेता बोलीदाता का नाम तथा उसके द्वारा पेश की गई कीमत सहित प्रदान की गई संविदा की अवधि और संक्षिप्त कार्य-क्षेत्र।

नियोक्ता ऐसे किसी भी असफल बोलीदाता को तुरत उत्तर देगा, जो उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार संविदा प्रदान करने की अधिसूचना जारी होने के बाद लिखित रूप में ऐसा अनुरोध करता है कि किस आधार पर उसकी बोली को नहीं चुना गया है।

33.3 भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 35 के अनुसार सफल बोलीदाता के कार्य-निष्पादन की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर नियोक्ता भाग-2, आईटीबी, उप-अनुच्छेद 13.4 और 13.5 के अनुसार बोली की प्रतिभूतियों को तुरत चुका देगा।

34. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना

34.1 जिस समय नियोक्ता सफल बोलीदाता को यह सूचित करेगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है, नियोक्ता बोलीदाता के परामर्श से बोली के दस्तावेजों में प्रदत्त संविदा करार तैयार करेगा, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए सभी समझौतों को शामिल किया जाएगा।

34.2 संविदा प्रदान करने की अधिसूचना की तारीख से अठाईस (28) दिनों के भीतर संविदा करार तैयार किया जाएगा तथा उसके तत्काल बाद सफल बोलीदाता और नियोक्ता संविदा के करार पर हस्ताक्षर करेंगे और तारीख अंकित करेंगे।

35. कार्य-निष्पादन की प्रतिभूति

35.1 संविदा प्रदान करने की अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से अठाईस (28) दिनों के भीतर सफल बोलीदाता संविदा की कीमत के 10% (दस प्रतिशत) के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के साथ अर्हता आवश्यकताओं की अपेक्षा के अनुसार यदि कोई अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी है, तो वह **बीडीएस** में दी गई राशि में और भाग-6, बोली के दस्तावेजों के प्रतिदर्श प्रपत्रों और क्रिया-विधियों में प्रदत्त प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा। संयुक्त उद्यम की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

35.2 सफल बोलीदाता का भाग-2, आईटीबी, अनुच्छेद 34 अथवा अनुच्छेद 35 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करना, उसको प्रदान की गई संविदा को रद्द करने और उसकी बोली की प्रतिभूति को जब्त करने का पर्याप्त आधार बनेगा। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अगले निम्नतर मूल्यांकित बोलीदाता को संविदा प्रदान कर सकता है अथवा नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

36. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

नियोक्ता की नीति के अंतर्गत ऐसा अपेक्षित है कि बोलीदाता, आपूर्तिकर्ता और संविदाकार और उनके उप-संविदाकार संविदाओं के अंतर्गत ऐसी संविदाओं की अधिप्राप्ति और क्रियान्वयन के समय के नीतिशास्त्र के उच्चतम मानक का अनुपालन करेंगे। इस नीति के अनुसार नियोक्ता:-

(क) इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ निबंधन परिभाषित करता है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

(1) "*भ्रष्ट पद्धति*" - यह किसी भी मूल्यवान वस्तु की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेशकश करने, देने, प्राप्त करने अथवा मांग करने की पद्धति है, जिससे अन्य पक्षकार के कार्य पर अनुचित प्रभाव पडता है।

(2) "*वंचक पद्धति*" - यह एक ऐसा कार्य अथवा विलोपन है, जिसमें मिथ्या निरूपण शामिल है, जो कि एक पक्षकार को जानबूझ कर अथवा असावधानी पूर्वक भ्रमित करता है अथवा भ्रमित करने का प्रयास होता है, जिसके फलस्वरूप पक्षकार वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त करता है अथवा किसी दायित्व से बचता है।

(3) "*कपटपूर्ण पद्धति*" - यह दो अथवा अधिक पक्षकारों के बीच बनाई गई ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के साथ-साथ एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करना होता है।

(4) "*अवपीड़क पद्धति*" - यह किसी पक्षकार को अथवा किसी पक्षकार की सम्पति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षीण करने अथवा नुकसान पहुंचाने अथवा क्षीण करने अथवा नुकसान पहुंचाने की धमकी देने की पद्धति है, ताकि पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके।

(5) "*अवरोधक पद्धति*" निम्न प्रकार की होती है -

(कक) जांच के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य सामग्री को जान बूझ कर नष्ट करना, झूठ बोलना, साक्ष्य सामग्री में परिवर्तन करना अथवा उसको छिपाना अथवा जांच कर्ताओं के समझ झूठे विवरण देना ताकि भ्रष्ट, वंचक, कपटपूर्ण अथवा अवपीड़क पद्धति के आरोपों के बारे में नियोक्ता की जांच को वास्तविक रूप से बाधित किया जा सके और/अथवा किसी भी पक्षकार को धमकी देना, तंग करना अथवा डराना ताकि उसे जांच से संबद्ध मामलों की सूचना का प्रकटन करने अथवा जांच को जारी रखने से रोक सके *अथवा*

(खख) ऐसे कार्य जिनका प्रयोजन नियोक्ता के जांच करने और लेखा-परीक्षा करने के अधिकारों की कार्रवाई को वास्तविक रूप से बाधित करना होता है।

(ख) संविदा प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है कि संविदा प्रदान करने के लिए संस्तुत बोलीदाता, प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक एजेंट के माध्यम से संबंधित संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भ्रष्ट, वंचक, कपटपूर्ण अथवा अवपीड़क पद्धतियां प्रयुक्त कर रहा है।

(ग) किसी फर्म अथवा व्यक्ति को अपात्र घोषित करने सहित या तो अनिश्चित रूप से अथवा एक निर्धारित अवधि के लिए संविदा प्रदान करने की स्वीकृति देता है यदि वह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि फर्म ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक एजेंट के माध्यम से माध्यम से संबंधित संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अथवा संविदा को निष्पादित करने के लिए भ्रष्ट, वंचक, कपटपूर्ण अथवा अवपीड़क पद्धतियां प्रयुक्त कर रहा है।

(घ) नियोक्ता के पास ऐसा अधिकार होगा, जिसमें ऐसी अपेक्षा होगी कि बोली के दस्तावेजों और संविदाओं में ऐसे प्रावधान को शामिल किया जाए, जिसके अंतर्गत बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकारों और उनके उप-संविदाकारों के लिए ऐसा अपेक्षित होगा कि वे नियोक्ता को संविदा प्रस्तुत करने और संविदा के निष्पादन से संबंधित अपने लेखाओं और अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को देखने के लिए और नियोक्ता द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा करने की अनुमति दें।

- भाग-2 (आईटीबी) का समापन -